# कटारी नगरपालिका
## नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
# आर्थिक ऐन २०७७

**प्रमाणिकरण मिति : २०७७/०३/२०**

**प्रस्तावनाः**

कटारी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ को अर्थ सम्वन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आयको संकलन प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा (२८८) को उपधारा (२) र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (१०२) बमोजिम यो ऐन बनाईएको छ ।

१) **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः**

यस ऐनको नाम " कटारी नगरपालिका आर्थिक ऐन,२०७७" रहनेछ , यी दरहरु २०७७ साल श्रावण १ गते देखि कटारी नगरपालिका क्षेत्र भित्र लागु हुनेछ ।

२) **सम्पति कर :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्र भित्ररहेका घर र घर जग्गामा अनुसुचि (१) बमोजिम आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पतिकर असुल उपर गरिनेछ ।

३) **भुमिकर (मालपोत) :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र जग्गा र घर नभएका जग्गामा अनुसूची(२) बमोजिम आ.व.२०७७/०७८ भूमिकर(मालपोत) असुल उपर गरिनेछ ।

४) **घर जग्गा बहाल कर :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति, संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आशिंक बहालको आम्दानीमा १० प्रतिशत बहाल कर लगाइनेछ ।

५) **व्यवसाय कर :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्र भित्र व्यापार, व्यवसाय, वा सेवामा अनुसुचि(३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

६) **सवारी साधन कर :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्र भित्र ठेगानाभएका सवारी साधनमा अनुसुचि (४) बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

७) **विज्ञापन कर :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्र भित्र हुने विज्ञापनमा अनुसुचि(५) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

८) **हाटबजार कर :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्र भित्र लाग्ने अस्थायी सप्ताहिक हाटबजार तथा घुम्तिपसलबाट अनुसुचि (६) बमोजिम हाटबजार अस्थायी ब्यवसायकर लगाइनेछ ।

९)**जडिबुटी,कवाडी र जिवजन्तु कर :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनैब्याक्ति वा संस्थाले ऊन,खोटो,जडिव'टी,कवाडीमाल र निषेधित जिवजन्तु वाहेककअन्य मृत वा मारिएको जिवजन्तुहरुको हाड,सिङ,छाला जस्ता वस्तुको ब्यवसायिक कारोवार गरे वापत अनूसुची(७) बमोजिमको कर लगाएर असुल उपर गरिन्छ ।

१०)**मनोरन्जकरः**

कटारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने र शुल्क लिई संचालन गरि जुनसुकै प्रकारको मनोरन्जन ब्यवसाय ( अनुसुची ८) वमोजिम मनोरन्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

११)**विक्री गर्न सक्ने :**

कटारी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरण परिक्षणबाट तोकिएको परिमाणमा स्टेल,ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,एवं माटोजन्य बस्तु र सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेका काठ, दाउरा,जराजुरी,दहत्तर वहत्तर आदिबाट अनुसुची (९) शुल्क लगाई रकम असुल गरिनेछ ।

१२)**सामुदायिक वनबाट आय प्राप्त गर्ने :**

कटारी नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार बिक्री तथा उपयोग सम्बन्धी आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना बनाई गरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ र बिक्री वन पैदावरको विक्री वापतको रकम १० प्रतिशत रकम कटारी नगरपालिको संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

१३)**सवारी पार्किङ्ग शुल्क :**

कटारी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै सवारीलाई पार्किङ्ग सेवा उपलब्ध गराए वापत अनुसुची ( १०) अनुसार सवारी पार्किङ्ग शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

१४)**सेवा ,शुल्क दस्तुर :**

नगरपालिकाले निमार्ण, संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसुची ११ मा उल्लेखित स्थानीय पूर्वधार र उपलब्ध गराईएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसुचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।

१६)**कर छुटः**

यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिईने छैन । तर नेपाल सरकारका भवनहरु कटारी नगरपालिका, सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय तथा सार्वजनिक पर्ति जग्गामा निर्माण भएका सामुदायिक भवनहरु,गैर नाफामुलक संस्थाका भवनमा घर जग्गा कर छुट हुनेछ,सेवाभने, शुल्क छुट हुनेछैन ।

१४) **कर तथा शुल्क संकलनः**

कटारी नगरपालिकाले कर तथा सेवा शुल्क, दस्तुर तपसिल बमोजिमकाकर,सिफारिस र सेवा शुल्कका आधारमा आन्तरिक आय संकलन गर्नेछ ।

## अनूसुची १

ऐनको दफा (२) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको आधारमा सम्पति कर संकलनका लागि दररेट :-

१. **सम्पतीकर :**

| सि.नं. | करको विवरण | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | रु. १ देखि रु २ लाख सम्म | २५ | |
| २ | रु. २ लाख १ देखि ३ लाख ५० हजास सम्म | ५० | |
| ३ | रु ३ लाख पचास हजार १ देखि ५ लाख | ७५ | |
| ४ | रु ५ लाख १देखि रु ७ लाख सम्म | १०० | |
| ५ | रु. ७ लाख १देखि १० लाख सम्म | १५० | |
| ६ | रु. १० लाख १ दखि रु १५ लाख सम्म | २५० | |
| ७ | रु. १५ लाख १ देखि २० लाख सम्म | ३०० | |
| ८ | रु. २० लाख १ देखि ३० लाख सम्म | ५०० | |
| ९ | रु. ३० लाख १ देखि ५० लाख सम्म | १२०० | |
| १० | रु. ५० लाख १ देखि ७५ लाख सम्म | २५०० | |
| ११ | रु.७५ लाख १देखि १ करोड सम्म | ३५०० | |
| १२ | रु. १ करोड १ देखि २ करोड सम्म | १२००० | |
| १३ | रु. २ करोड १ देखि ५ करोड सम्म | २५००० | |
| १४ | रु. ५ करोड देखि माथि प्रति हजार रु २ का दरले | | |

## अनूसुची २

ऐनको दफा (३) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको आधारमा भुमीकर (मालपोत) संकलनका लागि दररेट :-

| सि.न. | वर्ग | वडा नं | कठ्ठा | रकम | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | वर्ग क | वडा नं ३ को कटारी बजार,वडा नं. ४ को जहडी,सिम्ले ,तल्लो कटारी | प्रति कठ्ठा | रु. १०० | |
| २ | वर्ग ख | माथि उल्लेखित जग्गा बाहेक वडा नं ३ र ४ का अन्य जग्गाहरु | प्रति कठ्ठा | रु.३० | |
| ३ | वर्ग ग | १,२,५,६,७ | प्रति कठ्ठा | रु. २५ | |
| ४ | वर्ग घ | ८ देखि १४ | प्रति रोपनी | रु. २० | |

## संरचना तर्फ

| संरचनाको किसमि | मुल्यांकनको दर ( प्रति एकाई |
|---|---|
| दुंगा वा ईटाको प्रर्खाल प्रति रनिङ्गफिट | ५० |
| माटोको जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो आर सि.सि. छाना | ६०० |
| माटोको जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो टिन वा टायलको छानो | ४०० |
| वाल नलगाई फ्रेम मात्र बनाएका आर.सि.सि. घर | ८०० |
| सिमेन्टको जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो भएको आर.सि.सि. घर | १००० |
| समेन्टको जोडाईमा ईट्टा वा ढुंगाको गारो भएको जस्ता वा टायलको छानो भएको घर | ७०० |
| काठ,बाँस,सेन्टरवेरा भई जस्ता तिन ,टायल टाली वा खरको छानो भएको घर | २५० |

## अनूसुची ३

ऐनको दफा (५) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको आधारमा भुमीकर (मालपोत) संकलनका लागि दररेट :-

## व्यवसाय करको दर

| क्र.सं. | विवरण | | करको दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | **मदिरा पसल** | | | |
| | क | वितरक | ५००० | |
| | ख | थोक वितरक | ४००० | |
| | ग | खुद्रा विक्रेता | २००० | |
| २ | **सुर्तीजन्य** | | | |
| | क | वितरक | ५००० | |
| | ख | थोक वितरक | ३००० | |
| | अ | खुद्रा विक्रेता | २००० | |
| ३ | **हल्का पेय पदार्थ** | | | |
| | क | थोक वितरक | २००० | |
| | ख | खुद्रा विक्रेता | १००० | |
| ४ | **सुनचाँदी पसल** | | | |
| | क | फेन्सी गहना बनाई विक्री सो रुम (क) श्रेणी | ६००० | |
| | ख | फेन्सी गहना बनाई विक्री सो रुम (ख) श्रेणी | ३००० | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ५ | **औषधी पसल** | | | |
| | क | उत्पादन | ५००० | |
| | ख | वितरक थोक | ४००० | |
| | अ | खुद्रा पसल | ३००० | |
| ६ | **आयुर्वेद औषधी** | | | |
| | क | उत्पादन | ५००० | |
| | ख | वितरक | २००० | |
| | ग | खुद्रा | १००० | |
| ७ | **एग्रोभेट पसल** | | | |
| | क | थोक (कृषि जन्य विजन,औषधि तथा अन्य सामग्री | ५००० | |
| | ख | खुद्रा (कृषि जन्य विउ विजन मात्र) | ४००० | |
| ८ | **स्टेशनरी पसल** | | | |
| | क | थोक | २५०० | |
| | ख | खुद्रा | २००० | |
| | ग | मुद्रण सामग्री | ३००० | |
| | घ | कपी उद्योग | ३००० | |
| ९ | **कस्मेटिक पसल** | | | |
| | क | थोक | २५०० | |
| | ख | खुद्रा | १५०० | |
| १० | **मोटर पार्टस तथा बोडि विल्डर्स सामग्री** | | ३००० | |
| ११ | **लुब्रिकेशन सेक्सन (मोविल ग्रिस आदि तर्फ** | | ३००० | |
| १२ | **पलाई तथा ग्लास हाउस** | | | |
| | क | थोक | ३००० | |
| | ख | खुद्रा | २००० | |
| १३ | **व्याग हाउस** | | | |
| | क | थोक | ३००० | |
| | ख | खुद्रा | १००० | |
| १४ | **धागो,टा,चुडी,श्रृगार पुजा सामग्री पसल** | | | |
| | क | थोक | ३००० | |
| | ख | खुद्रा | १५०० | |
| १५ | **ईलेक्टोनिक , कम्प्युटर पसल** | | | |
| | क | थोक | ३००० | |
| | ख | खुद्रा | २००० | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ग | घडी रेडियो आदि | १५०० | |
| | घ | अडियो भिडियो | १५०० | |
| | ङ | मोवाईल पसल | २५०० | |
| १६ | **विद्युत सामग्री पसल** | | | |
| | क | थोक | ३००० | |
| | ख | खुद्रा | १५०० | |
| १७ | **हार्डवेयर,मेशिनरी,पेन्टस,सेनेटरी,मार्बल पसल** | | | |
| | क | थोक | ६००० | |
| | ख | खुद्रा छड,सिमेन्ट,हार्डवेयर | ४००० | |
| | ग | मेशिनरी | ३००० | |
| | घ | पेन्टस | २००० | |
| | ङ | सनेटरी,मार्बल | ३००० | |
| | च | अन्य खुद्रा | २००० | |
| १८ | **पेट्रोलियम पदार्थ** | | | |
| | क | ३ पक्प वा माथि | ५००० | |
| | ख | द्द पम्प माथी | ३००० | |
| | ग | ज्ञ पम्प माथी | २००० | |
| | घ | पेट्रोलिमय पदार्थ सव डिलर | १५०० | |
| | ङ | मट्टीटेल मात्र विक्री | १००० | |
| | च | ग्यास सिलिण्डर डिलर | २५०० | |
| १९ | **स्टिल आल्मुनियम पसल** | | | |
| | क | थोक | ५००० | |
| | ख | खुद्रा | २५०० | |
| २० | **फर्निसिङ्ग पसल** | | | |
| | क | थोक | ५००० | |
| | ख | खुद्रा | २५०० | |
| २१ | **सवारी साधन एजेन्सी तथा विक्री पसल** | | | |
| | क | बस,ट्रक,ट्याक्टर,जिप,कार,भ्यान डिलर | १०००० | |
| | ख | मोटरसाईकल डिलर | ५००० | |
| | ग | मोटरसाईकल तथा अन्य सवारी साधनको डिलर स्वदेशी | ४००० | |
| | घ | साईकल पसल | २००० | |
| | ङ | रि-कन्डिसन हाउस | ३००० | |
| | च | टायर शोरुम | ३००० | |
| | छ | अटो रिक्सा | ५००० | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ज | विविध विषयका सामान सप्लायर्स तथा एजेन्सीहरु | २००० | |
| २२ | **दैनिक उपभोग्य बस्तु** | | | |
| | क | खाद्य सन्लायर्स | ३००० | |
| | ख | गल्ला थोक | ३००० | |
| | ग | खाद्यन्य किराना थोक | ३००० | |
| | घ | खाद्यन्य किराना खुद्रा | १५०० | |
| | ङ | साना किराना पसल | १००० | |
| | च | आलु प्याज असुन थोक | २००० | |
| २३ | **फलफुल पसल** | | २००० | |
| | क | ठेला | ५५० | |
| | ख | खुद्रा | १००० | |
| २४ | **हरियो तरकारी पसल** | | | |
| | क | थोक | २००० | |
| | ख | खुद्रा | १००० | |
| २५ | **कपडा पसल** | | | |
| | क | थोक | ३००० | |
| | ख | खुद्रा | १५०० | |
| | ग | फेन्सी पसल | १५०० | |
| २६ | **विशेष परामर्श तथा अन्य व्यवसायीक सेवा** | | | |
| | **कन्सल्टेन्सी सेवा** | | | |
| | ख | इन्जिनीयरिङ्ग फर्म परामर्श सेवा | ३००० | |
| | ग | ल फर्म तथा कानुन परामर्श सेवा | १५०० | |
| | **लेखा परिक्षण व्यवसाय तर्फ** | | | |
| | क | लेखा परिक्षण (सि.ए.) | ३००० | |
| | ख | लेखापढी व्यवसाय | २५०० | |
| | ग | अन्य | २००० | |
| २७ | **अनुसन्धन तथा परामर्श सेवा** | | | |
| | क | अनुसन्धन फर्म | २००० | |
| | ख | विमा कम्पनी | २००० | |
| | ग | शेयर एजेन्ट फर्म | २००० | |
| | घ | ढुवानी तथा ट्रान्सर्पोट | २००० | |
| | ङ | संस्थागत पेन्टर्स | २००० | |
| २८ | | निर्माण व्यवसाय | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | क | न.पा. मा प्रधान कार्यालय भएका निर्माण व्यवसायी | ३००० | |
| | ख | विदेश निर्माण व्यवसाय तथा परामर्श दाता | १०००० | |
| २९ | **भवन निर्माण** | | | |
| | क | मिक्स्चर र सटरिङ्ग सेवा भएको | ५००० | |
| | ख | सटरिङ्ग सामान मात्र भएको | ४००० | |
| | ग | भवन निर्माण व्यवसायी | २००० | |
| | घ | वाटर ड्रिलिङ्ग | ३००० | |
| ३० | **उत्पादन मुलक उद्योग** | | | |
| | क | प्लाष्टिक उद्योग (प्लाष्टिक झोला उद्योग बाहेक) | ५००० | |
| | ख | चप्पल उद्योग | ५००० | |
| | ग | स्टिल,आल्मुनियम,ग्रिल,तथा स्टील सामग्री उद्योग | ४००० | |
| | घ | फलामको ग्रिल उद्योग | २५०० | |
| | ङ | साबुन उद्योग क वर्ग | ५००० | |
| | च | जुत्ता चप्पल उद्योग तथा सोम रुम | २५०० | |
| | छ | जुत्ता पसल थोक | २००० | |
| | ज | जुत्ता पसल खुद्रा | १५०० | |
| | झ | जुत्ता मर्मत | ५०० | |
| | ञ | पशु आहार उद्योग | २५०० | |
| | ट | पशु आहार विक्री केन्द्र | १५०० | |
| | ठ | पशु पन्छी पालन उद्योग | १००० | |
| | ड | घरेलु कुटिर उद्योग | १००० | |
| | ढ | अगरबति,मैन बत्ति,टिकी,अचार तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुटिर हस्तकला ,मुर्तिकला समेत | १००० | |
| ३१ | **कपडा तथा गार्मेट उद्योग** | | | |
| | क | कपडा उद्योग | ५००० | |
| | ख | ज्याकेट तथा व्याग उद्योग | ४००० | |
| | ग | धागो उद्योग | २००० | |
| | घ | गार्मेन्ट उद्योग | २५०० | |
| | ङ | ढाका उद्योग क वर्ग | १५०० | |
| | च | सिरक डस्ना उत्पादक | ३००० | |
| | छ | छाता,सिलाई उद्योग | १५०० | |
| | ज | ड्राईक्लिनर | २००० | |
| ३२ | **पेय पदार्थ उत्पादन उद्योग** | | | |
| | क | मिनरल वाटर उद्योग | ५००० | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ख | पिउन पानी सप्लायर्स | २००० | |
| | ग | आईस बरफ उद्योग | २००० | |
| | घ | आईसक्रिम उद्येंग | २००० | |
| | ङ | सोडा उद्योग | २००० | |
| ३३ | **भाडा पसल तर्फ** | | | |
| | क | कास,तामा,पित्तलका भाडा उद्योग | ४००० | |
| | ख | आल्मुनियम भाडा उद्योग | ४००० | |
| | ग | प्लाष्टिक भाडा उद्योग | ४००० | |
| | घ | टिनको बाकस,वाल्टी उद्योग | ३००० | |
| | ङ | भाडा पसल | २००० | |
| | च | प्लाष्टिक जन्य सामग्री पसल | २००० | |
| | छ | पुजा सामग्री पसल | २००० | |
| ३४ | **कुटानी पेलानी** | | | |
| | क | फलावर मिल | ५००० | |
| | ख | सेलर मिल (कुटानी,पिसानी,चिउरा र पेलानी भएको) | ५००० | |
| | ग | कुटानी पिसानी | १००० | |
| | घ | पेलानी मात्र | १००० | |
| | ङ | चिउरा मिल | २००० | |
| | च | मसला तथा बेसार उद्योग | १००० | |
| ३५ | **डेरी उद्योग** | | | |
| | क | डेरी उद्योग तथा विक्री पसल | २५०० | |
| ३६ | **उपभोग्य वस्तु उत्पादन उद्योग** | | | |
| | क | कुकिज ,पाउरोटीजुडल्स उद्योग | २००० | |
| | ख | कन्फेक्सनरी उद्योग | २००० | |
| | ग | विस्कुट उद्योग | २००० | |
| | घ | दालमोट उद्योग | १००० | |
| ३७ | **रिकन्डीसन उद्योग** | | | |
| | | फलाम कृषि औजार उद्योग | २००० | |
| | | कागज प्लाष्टिक रिकन्डीसन उद्योग | १५०० | |
| | | उर्जा मुलक उद्योग | १५०० | |
| | | वायो ग्यास उद्योग | ३००० | |
| | | सौर्य शक्ति उत्पादन उद्योग | २००० | |
| | | मर्मत सम्भार पार्ट उद्योग | २००० | |
| ३८ | **काष्ठ तथा वन जन्य उद्योग** | | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | क | स-मिल प्लाइउड उद्योग | ५००० | |
| | ख | काठ विक्री डिपो | ४००० | |
| | ग | काठको फर्निचर उद्योग सो रुम | ३००० | |
| | घ | काठको फर्निचर | १००० | |
| | ङ | वेत (बाँस) तथा व्याम्वो सोम रुम | १५०० | |
| ३९ | **कक्रिट उद्योग** | | | |
| | क | कक्रिंट उद्योग | ५००० | |
| | ख | सेनेटरी उद्योग | १५०० | |
| | ग | ढुंगा,गिट्टी बालुवा सप्लायर्स | २५००० | |
| | घ | क्रसर उद्योग | ५०००० | |
| | ङ | बालुवा वासिङ्ग | ३५००० | |
| ४० | **डिस्टिलरी उद्योग** | | | |
| | क | डिस्टिलरी उद्योग क वर्ग | १०००० | |
| | ख | डिस्टिलरी उद्योग ख वर्ग | ७००० | |
| ४१ | **इट्टा उद्योग** | | ३०००० | |
| ४२ | **ब्याट्री उद्योग** | | २०००० | |
| ४३ | **पर्यटन उद्योग** | | | |
| | क | होटल,लज, तथा रेष्टुरेन्ट उच्च कोटी | १०००० | |
| | ख | होटल तथा लज ,मदिरा सहित | ६००० | |
| | ग | होटल तथा रेष्टुरेन्ट ,मदिरा सहित | ६००० | |
| | घ | दोहोरी साँझ | २००० | |
| | ङ | पार्टी प्यालेस | ५००० | |
| | च | रेष्टुरेन्ट | २००० | |
| | छ | भोजनालय | १००० | |
| | ज | मिस्टान्न क्याटरिङ्ग पसल समेत | ३००० | |
| | झ | मिष्टान्न पसल | १५०० | |
| | ञ | क्याटरिङ्ग | २००० | |
| | ट | चिया कफि पसल | १००० | |
| | ठ | फास्ट फुड एण्ड क्याफ | १००० | |
| ४४ | **टेन्ट हाउस** | | | |
| | क | विद्युत डेकोरेसन वेन्ड बाजा सहितको टेन्ट हाउस | ५००० | |
| | ख | विद्युत डेकोरेसन सहितको टेन्ट हाउस | ३५०० | |
| | ग | टेन्ट हाउस मात्र | २५०० | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ४५ | **सेवा उद्योग** | | | |
| | क | अफसेट प्रेम | ३००० | |
| | ख | स्क्रीन पिन्ट प्रेस | २००० | |
| | ग | लेजर प्रिन्ट प्रेस | १५०० | |
| | घ | सिनेमा हल | ५००० | |
| | ङ | फिल्म डिस्टीब्युटर्स | १५०० | |
| | च | कलर ल्याव सेवा | १५०० | |
| | छ | भिडियो मिक्सिङ्ग | २००० | |
| | ज | फोटो स्टुडियो | १५०० | |
| | झ | कलर ल्याव र भिडियो मिक्स्रिग | २००० | |
| | ञ | साउण्ड सिस्मट | १५०० | |
| ४६ | **संचार** | | | |
| | क | टेलिफोन,टंकल,फ्याक्स,मोवाईल सेवा प्रदायक कम्पनी | ३००० | |
| | ख | टि.भि. च्यानल प्रसारण | ३००० | |
| | ग | केवल च्यानल प्रसारण ३००० भन्दा माथि ग्राहाक भएको | ५००० | |
| | घ | केवल च्यानल प्रसारण ३००० भन्दा कम ग्राहाक भएको | ३००० | |
| | ङ | एम एम प्रसारण | २००० | |
| | च | पत्र पत्रिका प्रकाशसन सेवा | १००० | |
| | छ | ईन्टरनेट सेवा प्रदायक ३००० भन्दा कम ग्राहाक भएको | ५००० | |
| | ज | ईन्टरनेट सेवा प्रदायक ३००० भन्दा बढी ग्राहाक भएको | ३००० | |
| | झ | केवल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक | ५००० | |
| | ञ | मोवाईल पसल | २००० | |
| ४७ | **कम्यूनिकेशन सेवा** | | | |
| | **क** | टुर्स एण्ड ट्राभल्स सेवा | १५०० | |
| | ख | फोटोकपी ,पि.सि.आु.साईवर क्याफे | १५०० | |
| | ग | कुरियर्स सेवा मुख्य कार्यालय | १५०० | |
| | घ | कुरियर्स सेवा शाखा कार्यालय | १००० | |
| ४८ | **वित्तिय सेवा (नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका बैंकहरु बाहेक** | | | |
| | क | वाणिज्य बैंक निजी स्तर मुख्य कार्यालय | ३०००० | |
| | ख | वाणिज्य बैंक प्रति शाखा कार्यालय क वर्ग | १५००० | |
| | ग | विकास बैंक मुख्य कार्यालय | २०००० | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | घ | विकास बैंक प्रति शाखा कार्यालय | ७००० | |
| | ङ | फाईनान्स कम्पनी मुख्य कार्यालय | १०००० | |
| | च | फाईनान्स कम्पनी प्रति शाखा कार्यालय | ३००० | |
| | छ | लघु वित्त कम्पनी | ५००० | |
| | ज | विमा कम्पनीहरु | ५००० | |
| | झ | मनी एक्सचेन्जर , ट्रान्सफर | २००० | |
| | ञ | वित्तीय सहरकारी संस्था | १००० | |
| ४९ | **स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय** | | | |
| | क | गैर सरकारी अस्पताल तथा नर्सिङ होम | २५००० | **नविकरण ७०००** |
| | ख | एम आर आई सिटि स्क्यान,अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक,पोलि क्लिनिक रिसर्च सेन्टर | २०००० | **नविकरण ५०००** |
| | ग | प्याथोलोजि | २५०० | |
| | घ | औक्षधी पसल/अक्युपंचर | १५०० | |
| | ङ | एक्सरे | १००० | |
| | च | चश्मा पसल | २००० | |
| ५० | **शिक्षा सेवा** | | | |
| | क | निजी क्याम्पस | ५००० | |
| | ख | निज.मा.वि. | ५००० | |
| | ग | निजी आधारभुत | २००० | |
| | घ | पुर्व प्रा.वि. छात्रावास मन्टेश्वरी | १५०० | |
| | ङ | पोलि टेक्नीकल इन्टिच्युट प्रशिक्षण समेत | २००० | |
| | च | नसिङ्ग ,सि.एम.ए. एच.ए प्रशिक्षण समेत | २००० | |
| | छ | एजुकेस्नल कन्सल्टेन्सी सेवा | ३००० | |
| | ज | कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक तालिम | २००० | |
| | झ | ड्राईभिङ्ग इन्स्टिच्युट | २००० | |
| | ञ | भाष ,शिक्षा,कोचिङ्ग सेन्टर | २००० | |
| ५१ | **मर्मत सम्भार** | | | |
| | क | नयाँ बोडि बनाउने क श्रेणी | ४००० | |
| | ख | बोडि मर्मत गर्ने ख श्रेणी | ३००० | |
| | ग | लेथ सेक्सन | २००० | |
| | घ | टायर डिलर सा रुम | ३००० | |
| | ङ | टायर रिसोलिङ | २००० | |
| | च | टायर पन्चर मर्मत | १००० | |
| | छ | इन्जिन मर्मत | १५०० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ज | डेन्टीङ पेन्टीङ तथा वेल्डिङ | १५०० | |
| | झ | पम्प सेक्सन मर्मत | १००० | |
| | ञ | व्याट्री,इलेक्ट्रीक सेक्सन मर्मत | १००० | |
| | ट | वासिङ सेक्सन | ५०० | |
| | ठ | रिक्सा साईकल विक्री | १००० | |
| | ड | रिस्का साईकल मर्मत तथा विक्री सहित | १५०० | |
| | ढ | रिक्सा साईकल मर्मत | ५०० | |
| | ण | टि.भि.डेग,मोवाईल,फ्रिज,मर्मत कम्प्युटर ममैत | १५०० | |
| | त | रेडियो,घडी,क्याल्कुलेटर मर्मत | १००० | |
| | थ | मोटरसाईकल मर्मत | १५०० | |
| | द | कम्पनी पट्टा, रेडयटर,ग्रिस हेड ममैत | ५०० | |
| | ध | जेनेरेटर,फिज,कम्प्युटर मर्मत | १५०० | |
| ५२ | **हेभी इक्यूपमेन्ट** | | | |
| | क | हेभी इकयुपमेन्ट खरिद विक्री | ५००० | |
| | ख | अन्य कवडी खरिद विक्री | ३००० | |
| ५३ | **अन्य सेवा** | | | |
| | क | वैदेशिक रोजगार सेवा परामर्श सेवा | ३००० | |
| | ख | वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवा शाखा कार्यालय | २००० | |
| | ग | सेवा परामर्श दाता | १५०० | |
| | घ | श्रमिक सेवा परामर्श दाता | १५०० | |
| | ङ | सामान सहित श्रमिक सेवा परामर्श दाता | १५०० | |
| | च | सेक्रेटरियल सेवा मात्र | १००० | |
| ५४ | **ड्राइ किलनिक ,सैलुन तथा ब्युटि पार्लर** | | | |
| | क | ब्युटि पार्लर सेवा,तालिम सहित ५ जना भन्दा बढी कारिगढ | १५०० | |
| | ख | ब्युटि पार्लर सेवा | १२०० | |
| | ग | कालिगढ सहितको सैलुन सेवा २ सिट माथि | १००० | |
| | घ | सैलुन सेवा २ सिट सम्मको | ८०० | |
| | ङ | ड्राईक्लिनिक सेवा | ५०० | |
| ५५ | **साईन बोर्ड आर्ट व्यवसाय** | | | |
| | क | डिजिटल आर्ट व्यवसाय | २००० | |
| | ख | अन्य आर्ट व्यवसाय | १५०० | |
| ५६ | **पशु बधाशाला** | | | |
| | क | पश बधशाला | ५००० | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ख | पशुको छाला संकलन तथा विक्री | ३००० | |
| ५७ | **माछा मासु विक्री पसल** | | | |
| | क | प्याकिङ्ग माछा मासु सप्लायर्स | १००० | |
| | ख | माछा मासु मध्ये कम्तीमा ३ वटा सेवा दिने पसल | २५०० | |
| | ग | माछा मासु मध्ये कम्तीमा २ वटा सेवा दिने पसल | २००० | |
| | घ | कुनै एक सेवा माछा सिधा | १००० | |
| | ङ | अण्डा विक्री पसल | १००० | |
| ५८ | **फुल विरुवा पसल** | | | |
| | क | नर्सरी | २००० | |
| | ख | फुल विक्री | १००० | |
| ५९ | **स्नुकर तथा पुल हाउस** | | | |
| | क | स्नुकर तथा पुल हाउस दुवै भएको | १५०० | |
| | ख | स्नुकर मात्र | १००० | |
| | ग | पुल हाउस | १००० | |
| ६० | **खेलौना,गिफ्ट हाउस तथा फोटो फ्रेम पसल (सोरुम)** | | | |
| | क | खेलौना तथा गिफ्ट पसल | १५०० | |
| | ख | खेलौना मात्र | १००० | |
| | ग | फोटो फ्रेम | १००० | |
| ६१ | **सिलाई मेशिन मर्मत तथा सिलाई पसल** | | | |
| | क | सिलाई स्पेस्लिस्ट पसल | २००० | |
| | ख | सिलाई पसल | १००० | |
| | ग | सिलाई मेशिन मर्मत | १००० | |
| | घ | बुटिक ल्याब्रोटरी | १००० | |
| ६२ | **संगित कला केन्द्र** | | १००० | |
| ६३ | **घुम्ती व्यवसाय गर्ने व्यवसायीको हकमा** | | | |
| | क | फेन्सी तथा कपडा पसल गलैंचा समेत | ८०० | |
| | ख | किराना विसाता तथा भाडा पसल | ५०० | |
| | ग | ठेलामा विक्री | ५०० | |
| | घ | अन्य प्राकृतिक | २०० | |
| ६४ | **कृषि र पशु तर्फ** | | | |
| | क | बहुउदेश्य कृषि फर्म | ४००० | |
| | ख | कृषि फर्म | २००० | |
| | ग | पशु पालन फर्म | २५०० | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | घ | ब्रोईलर कुखुरा फर्म | २००० | |
| | ङ | खसी,बाखा वंगुर,राँगा लागायत फर्म | २००० | |
| | च | माछा पालन फर्म | १००० | |
| ६५ | **माथी उल्लेख नभएका उद्योगहरुको हकमा** | | | |
| | क | ठुला उद्योग | ५००० | |
| | ख | मझौला उद्योग | ३००० | |
| | ग | साना उद्योग | २००० | |
| ६६ | **माथी उल्लेख नभएको अन्य पेशा व्यवसा** | | | |
| | क | डिस्टीरब्युटर्स थोक पसल | ३००० | |
| | ख | खुद्रा पसल | १००० | |
| ६७ | **रियल स्टेट** | | १०००० | |
| ६८ | **कवाडी संकलन व्यवसाय** | | ५००० | |
| ६९ | **मल खाद्य (रसायनिक मल)** | | २००० | |
| ७० | **मनोरन्जन कर मेला प्रदर्शनी आदिमा प्रति टिकट** | | **पाँच प्रतिशत** | |
| **उपरोक्त विषय नसमेटिएका व्यवसायको हकमा नगरपालिकाको निर्णय अनुसार हुनेछ।** | | | | |

## अनूसुची ४

ऐनको दफा (६) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी करको दररेट :-

### १) सवारी साधन कर

| सि.नं. | सवारीको किसिम | वार्षिक दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | नयाँ सवारी दर्ता | १५००। | |
| २ | सवारी साधन नामसारी शुल्क | १०००। | |
| ३ | सवारी दर्ता प्रमाण-पत्र शुल्क | ३००। | |
| ४ | बस,ट्रक टिपर,ट्यांकर लगायत अन्य ठूला ढुवानी गाडीहरु | २०००। | |
| ५ | रोलर,डोजर,एक्साभेटर,ब्याक-हो लोडर लगायत निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने हेभी इक्वीपमेन्ट | ३०००। | |
| ६ | भाडाको जीप ,कार,म्याजीक गाडी | १०००। | |
| ७ | भाडाको मिनी बस, माईक्रो बस,मिनी ट्रक र पिकअप | १०००। | |
| ८ | निजी जीप,कार,टेम्पो,मिनी बस, माईक्रो बस,पिकअप,डेलिभरी भ्यान आदि | ३०००। | |
| ९ | स्कूटर , मोटर साईकल १५०सिसि सम्मको लागि | १५०। | |
| १० | स्कूटर ,मोटर साईकल १५० सिसि भन्दा माथिको लागि | २००। | |
| ११ | ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युत रिक्सा | ५००। | |
| १२ | अटो रिक्सा | ८००। | |

## अनूसुची ५

ऐनको दफा (७) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको विज्ञापन शुल्कको दररेट :-

### १) बिज्ञापन शुल्क ( बार्षिक शुल्क )

| सि.नं. | विवरण | शुल्क रु | |
|---|---|---|---|
| १ | होर्डिङ बोर्डमा सूर्ती तथा मदिरा जन्य बस्तुको बिज्ञापन दस्तुर प्रति बर्ग फिट | ३०। | |
| २ | अन्य बस्तुको विज्ञापन दस्तुर प्रति बर्ग फिट | २०। | |
| ३ | राजमार्ग र मूल बाटोहरुमा राखिने सानो विज्ञापन वोर्डको ३'× ३' सम्मका बोर्ड प्रति प्लेट | १००। | |
| ४ | बसपार्क,सार्वजनिक स्थल र बजार क्षेत्रमा राखिने ४'× ४' भन्दा माथीका तर १०'× १०' सम्मका फ्लेक्स बोर्डको प्रति बर्ग फिट | १५। | |
| ५ | निजी घरको छाना वा खाली जग्गामा होर्डिङ बोर्डको | २०। | |
| ६ | निजी घरको भित्तामा विज्ञापन पेन्ट गरेकोमा प्रति बर्ग फिट | १०। | |

## अनूसुची ६

ऐनको दफा (८) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको आधारमा हाट बजार कर संकलनको दररेट :-

| | नगरपालिकाक्षेत्रभित्र लाग्ने हाट बजार कर | | | |
|---|---|---|---|---|
| | विवरण | शुल्क दर | विवरण | शुल्क दर |
| १ | फेरानी | ५।- | अन्य छुटपुट सामानहरु विक्री गर्ने संग | ५।- |
| | सब्जी पसल | ५।- | रिट्ठा प्रतिमन | ५।- |
| | सावुन थोक विक्रेता | १०।- | सुन्तला प्रतिभारी | १०।- |
| | चुरा पसल | १२।- | वेसार प्रतिमन | ५।- |
| | औठी पसल | ५।- | पिडालु , अम्बा, सुठुनी करेला प्रतिभारी | ५।- |
| | मनिहारा पसल | १०।- | आलु प्रति भारी | १०।- |
| | हाँस कुखुरा प्रति गोटा | ५।- | कागती प्रति सय | ५।- |
| | नून पसल | ५।- | चटपटे वाला संग | १०।- |
| | कपडा फिजाई वेचने | २५।- | किराना पसलवाट | १०।- |
| | रेडीमेट पसल | १५।- | नास्पाती सयकडा | ५।- |
| | मुरही पसल | ५।- | चिराईतो, माझितो,कुरीलो प्रतिकिलो | ५।- |
| | झील्ली वेच्ने | ५।- | दलहन प्रतिकिलो | ००।५० |
| | हजाम संग | ५।- | १०० केजि पलदार काँटा | २०।- |
| | माछा पसले संग | १५।- | माटाको भाँडा राख्ने | ५।- |
| | माछा, मास पकाई वेच्ने | २५।- | सुन्तला, नास्पाती फिजाइ बेच्नेसँग | ५।- |
| | विडी वेच्ने संग | २०।- | दहीप्रति ठेकी | ५।- |
| | खसी काटी वेच्ने संग | २५।- | तेलहनप्रतिकिलो | ५।- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | छाता जुता मर्मत पसल | ५।- | टर्चलाइटमर्मत | १०।- |
| | राँगा काटी वेच्ने संग | ३०।- | सुर्तिपसलबाट | ५।- |
| | सुँगुर काटी वेच्ने संग | ३०।- | भाँडापसलबाट | १०।- |
| | वरफ | ५।- | भाँडामर्मतपसलबाट | २०।- |
| | विस्कुट पाउरोटी | ७।- | केराप्रतिभारी | १०।- |
| | जडीवुटी पसल | १०।- | घुमप्रतिगोटा | ५।- |
| | अण्डा पसलवाट | १०।- | सिन्कौलीबोक्राप्रतिमन | ५।- |
| | गुड पसल वाट | १०।- | तेजपत्ता प्रति भारी | ५।- |
| २ | **चौपाया शुल्क** | | | |
| | क) नगरपालकिको क्षेत्रभित्रको अस्थायी हाट बजारमा चौपायाका बिक्रि शुल्क निम्नानुसारको शुल्क खरिदकर्तावाट लिने । | | | |
| | खसी प्रतिगोटा | १०।- | सुँगुर, वंगुर प्रतिगोटा | १५।- |
| | वोका, वाखा, पाठी | १०।- | भेडाभेडी | १०।- |
| | घोडाघोडी | २०।- | गाई, गोरु (थारा गाई) | २०।- |
| | राँगा, थारा भैसी | २०।- | पाडापाडी, वाछावाछी | २०।- |
| | लैना गाई, भैसी | २०।- | | |
| | ख) नगरपालिका क्षेत्रभित्रवाट अन्यत्र लैजाने र अन्य क्षेत्रवाट नगरपालिका क्षेत्रभित्र ल्याउने निम्नानुसारको चौपायाहरुमा निम्नानुसारको शुल्क लिने । | | | |
| | खसी प्रतिगोटा | १०।- | सुँगुर, वंगुर प्रतिगोटा | १५।- |
| | वोका, वाखा, पाठी | १०।- | भेडाभेडी | १०।- |
| | घोडाघोडी | २०।- | गाई, गोरु (थारा गाई) | २०।- |
| | राँगा, थारा भैसी | २०।- | पाडापाडी, वाछावाछी | १५।- |
| | लैना गाई, भैसी | २०।- | | |

## अनूसुची ७

ऐनको दफा (९) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको आधारमा जडिबवुटी,कवाडी र जिबजन्तु कर संकलनको दररेट निकासीमा मात्र) :-

| सि.न. | विवरण | परिमाण | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | सिन्कौले | प्रति के.जी. | १ रुपैँया | |
| २ | हर्रो बर्रो | प्रति के.जी. | १ रुपैँया | |
| ३ | कुरुलो जरा | प्रति के.जी. | २ रुपैँया | |
| ४ | हाड | प्रति के.जी. | ५ रुपैँया | |
| ५ | सिंङ | प्रति के.जी. | ५ रुपैँया | |
| ६ | खुर | प्रति के.जी. | ५ रुपैँया | |
| ७ | काचो छाला | प्रति के.जी. | ५ रुपैँया | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ८ | गाई गोरी | प्रति गोटा | १०० रुपैंया | |
| ९ | राँगा ,भैसी ,गोडा | प्रति गोटा | १५० रुपैंया | |
| १० | भेडा बाखा खसी बोका | प्रति गोटा | ३० रुपैंया | |
| ११ | पाडा,पाडी,बाछा,बाछी | प्रति गोटा | १० रुपैंया | |
| १२ | अन्य चौपाया | प्रति गोटा | २० रुपैंया | |
| १३ | केरा | प्रति घरी | ० रुपैंया | |
| १४ | चिराईतो | प्रति के.जी. | ५ रुपैंया | |
| १५ | अदुवा | प्रति केजी. | ८० पैसा | |
| १६ | पुरानो फलाम | प्रति के.जी. | २ रुपैंया | |
| १७ | पुरानो टिन र जिआई जाली | प्रति के.जी. | १ रुपैंया | |
| १८ | खाली वियरको बोतल | प्रति गोटा | ५० पैसा | |
| १९ | खाली सि.सि ५०० एम.एम. माथि | प्रति गोटा | ५० पैसा | |
| २० | खाली सि.सि. ५०० एम.एम. मसनी | प्रति गोटा | २५ पैसा | |
| २१ | पुरानो प्लाष्टिको ड्रम र टुक्रा | प्रति के.जी. | ५० पैसा | |
| २२ | टायर,टिउ | प्रति क.जी. | १ रुपैंया | |
| २३ | पुरानोकागज | प्रति के.जी. | ५० पैसा | |
| २४ | जलेको ब्याट्रि | प्रति के.जी. | ५ रुपैंया | |
| २५ | जलेको मोविल | प्रति के.जी. | १ रुपैंया | |
| २६ | भिन्डु | प्रति क.जी. | १ रुपैंया | |
| २७ | गारमेट कपडाको टुक्रा | प्रति के.जी. | १ रुपैंया | |
| २८ | अन्य धातु पितल तामा | प्रति के.जी. | ५ रुपैंया | |
| २९ | सिलभर | प्रति के.जी. | ३ रुपैंया | |

(संघीय कानुन सँग बाझिएमा संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ )

कटारी नगरपालिका

## अनुसूची ८

ऐनको दफा (१०) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको मनोरञ्जन करको संकलनको दररेट

| सि.न. | विवरण | परिमाण | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | चलचित्र,हाट बजार,मला साँस्कृतिक प्रदर्शन थिएटर कन्सर्ट | प्रति टिकट | ५ प्रतिशत | |

## अनुसूची ९

ऐनको दफा (११) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको विक्री गर्न करको दररेट :

| सि.न. | विवरण | परिमाण | दर | कैफियत |
|---|---|---|---|---|
| १ | दहत्तर बहतर | प्रति क्युफिट | ४ रुपौँया | |
| २ | बालुवा | प्रति क्युफिट | ३ रुपैँया | |
| ३ | माटो | प्रति क्युफिट | २.५ रुपैँया | |

## अनुसूची १०

ऐनको दफा (१३) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको पार्किङ्ग दररेट :

**१. सवारी पाकिङ्ग/सम्पदा सेवा शुल्क**

| सि.नं. | सवारीको किसिम | सवारी पाकिङ्ग/सम्पदा शुल्क | |
|---|---|---|---|
| | | नेपालमा दर्ता भएका गाडी | विदेशमा दर्ता भएका गाडी |
| १ | टेम्पो,अटो,रिस्का,टिलर | २०। | दोब्बर |
| २ | जिप कार मारुती भ्यान | २५। | दोब्बर |
| ३ | माईक्रो (ज) वर्ग ल्याण्ड रोभर | २५। | दोब्बर |
| ४ | मनिवस मिनीट्रक | ४०। | दोब्बर |
| ५ | बस,ट्रक, ट्रिपर, लहरी | ५०। | दोब्बर |
| ६ | ट्रयाक्टर | ३०। | दोब्बर |
| ७ | ट्रेक्टर | ३०। | दोब्बर |
| ८ | विदेशी लहरी कन्टेनर प्रति ट्रिप | ६०। | दोब्बर |
| ९ | टेम्पो | २०। | दोब्बर |
| १० | जिप, कार,मारुती भ्यन | २५। | दोब्बर |
| ११ | माईक्रो (ज) वर्ग ल्याभ ओभर | ३०। | दोब्बर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १२ | मिनि वस , मिनिट्रक माइक्रो ख वर्ग | ४०। | दोब्बर |
| १३ | बस ट्रक ट्रिप्पर | ५०। | दोब्बर |
| १४ | रात्री विश्राम शुल्क | ५०। | दोब्बर |

## अनुसूची ११

ऐनको दफा (१४) संग सम्बन्धित नगरपालिकाले आ.व. २०७७/०७८ का लागि तपसिल बमोजिमको सेवा शुल्क,दस्तुरका दररेट :

**२०७७/०७८ का लागि पारित सिफारिस, सेवा शुल्क तथा दस्तुरमा संशोधित पारित दररेट :**

**१) सिफारिश दस्तुर ( बार्षिक शुल्क )**

| सि.नं. | सिफारिशको किसिम | सिफारिशको बर्गीकरण | दस्तुर |
|---|---|---|---|
| १ | नाता प्रमाणित | एकाघरको सदस्यसंगको सिफारिशमा<br>- अंग्रेजीमा सिफारिश गर्दा<br>-नेपालीमा सिफारिश गर्दा<br>एकाघर बाहेकको सिफारिश गर्दा | <br>३००।<br>२००।<br>३००। |
| २ | जग्गा अंशबन्दा पास | एक कित्ता<br>सो भन्दा माथि प्रति कित्ता | ५००।<br>२००। |
| ३ | घरबाटो सिफारिश | **१.**वडा नं १देखि वडा नं ०३ को तावाखोला पुल सम्म सिद्धिचरण राजमार्गले छोएको ।.....<br>**२.**वडा नं. ०३ तावाखोला पुल देखि वडा नं. ०४ को मरुवा खोला पुल सम्म सिद्धिचरण राजमार्गले छोएको.....<br>**३.** वडा नं ०४ को मरुवा खोला पुल देखि वडा नं १४ को सुनकोशी सम्म....<br>**४.**राजमार्गले छोएको भित्री बाटोहरु ३०० मिटर भित्र सम्म.....<br>**५.** भित्री कच्ची बाटोमा .....<br>**६.**मोटरबाटोले न छोएको .....<br>**७.**निजीप्लानीङका बाटोहरु.....<br>**८.**पक्की घर भएकोमा थप दस्तुर.....<br>**९.**कच्ची घर भएकोमा थप दस्तुर.....<br>**१०.**साहायक मार्गले छोएको (साविक गा.वि.स रिस्कू,सोरुङ्ग,लिम्पटार,सिरिसे,हर्देनी मयांखु,लेखानी) हालको वडा नं. ५–१४ सम्म । .....<br>**११.**मोटरबाटोले नछाएको (साविक गा.वि.स रिस्कू,सोरुङ्ग,लिम्पटार,सिरिसे,हर्देनी मयांखु,लेखानी) हालको वडा नं. ६–१४ सम्म । .....<br>**१२.** धरान–चटरा बैकल्पिक राजमार्गले छोएको<br>**१३.**बहुनीटार सडकले छोएको<br>**१४.**प्रति कित्ता थप दस्तुर | <br>२०००।<br>२५००।<br>१५००<br>१०००।<br>५००।<br>४००।<br>५००।<br>१०००।<br>५००।<br>६००।<br>५००।<br>२०००।<br>१०००।<br>३००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ४ | चार किल्ला प्रमाणित | **१.** वडा नं १ देखि वडा नं. ०३ को तावा खोला पुल सम्म सिद्धिचरण राजमार्गले छोएको प्रति कित्ता.....<br>**२.** वडा नं ०३ को तावाखोला पुल देखि वडा नं ०४ को मरुवा खोला सिद्धिचरण राजमार्गले छोएको प्रति कित्ता .....<br>**३.** वडा नं ०४ को मरुवा खोला पुल देखि वडा नं १४ को सुनकोशी सम्म सिद्धिचरण राजमार्गले छोएको प्रत्ति कित्ता .....<br>**४.**राजमार्गले छोएको भित्री बाटोहरु तीन सय मिटर भित्र सम्मका प्रति कित्ता .....<br>**५.**भित्री कच्ची बाटोका प्रति कित्ता.....<br>मोटरबाटोले न छोएको कित्ता थप प्रति कित्ता .....<br>**६.**साहायक मार्गले छोएको (साविक गा.वि.स रिस्कू,सोरुङ्ग,लिम्पटार,सिरिसे,हर्देनी मयांखु,लेखानी) हालको वडा नं. ६–१४ सम्म । .....<br>**७.**मोटरबाटोले नछाएको (साविक गा.वि.स रिस्कू,सोरुङ्ग,लिम्पटार,सिरिसे,हर्देनी मयांखु,लेखानी) हालको वडा नं. ६–१४ सम्म । ..... | ८००।<br>१०००।<br>८००।<br>६००।<br>५००।<br>५००।<br>५००।<br>४००। |
| ५ | सर्जमीन मुचुल्का | सवै किसिमका सर्जमीन मुचुल्का | ८००। |
| ६ | पेन्सन सिफारिश | बैदेशिक पेन्सन सम्बन्धी सिफारिश<br>स्वदेशी पेन्सन सम्वन्धी सिफारिश | १०००।<br>५००। |
| ७ | संघ संस्था दर्ता/नविकरर्ण सिफारिश | सवै किसिमका संस्था दर्ता सिफारिश | १५००। |
| | | नविकरण सिफारिस | ५०० |
| ८ | व्यक्तिगत सिफारिश | सवै खाले नागरिकता सिफारिश,जन्म मिति प्रमाणित, नामछुट, नामथर तथा जन्म मिति संशोधन, सनाखत, बसोवास प्रमाणित सिफारिशहरु | १५०। |
| ९ | निजी विद्यालय दर्ता तथा स्तरबृद्धि सिफारिश | **प्रथामीक तह**<br>कक्षा १ .....<br>कक्षा २.....<br>कक्षा ३ .....<br>कक्षा ४ .....<br>कक्षा ५ .....<br>**नि.मा.वि. तह**<br>कक्षा ६ .....<br>कक्षा ७ .....<br>कक्षा ८ .....<br>**माध्यामीक तह**<br>कक्षा ९ .....<br>कक्षा १० .....<br>कक्षा ११ ..... | <br>१५०००।<br>१७५००।<br>२००००।<br>२२५००।<br>२५०००।<br><br>३००००।<br>३५०००।<br>४००००।<br><br>५००००।<br>६००००।<br>८००००। |
| १० | चारित्रिक सिफारिश | व्यक्तिको चारित्रिक सिफारिश | ३००। |
| ११ | काठ तथा दाउरा सिफारिश | काठ र दाउराको लागि गरीने सवै खाले सिफारिशहरु ..... | ५००। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १२ | अमीन खटी जाने दस्तुर | प्रति कित्ता .....<br>थप प्रति कित्ता ..... | १०००।<br>५००। |
| | अंगिकृत सिफारिस | अंगिकृत सिफारिस | ५०० |
| १३ | विद्युत जडान सिफारिश दस्तुर | ➢ घरायसी,कृषि सिंचाई मिटर १६ए.सम्म<br>➢ व्यवसायिक मिटर १६ ए.भन्दा माथी<br>➢ थ्री फेज मिटर घरेलु उद्योग.....<br>➢ थ्री फेज औद्योगिक मिटर ..... | ३००।<br>१०००।<br>१५००।<br>२५००। |
| १४ | प्लटिङ सेवा शुल्क | ➢ ७ कट्ठा सम्म जग्गाको लागी प्रतिकट्ठा<br>➢ ७ कट्ठा देखि १५ कट्ठा सम्म प्रतिकट्ठा<br>➢ १५कट्ठा देखि ३० कट्ठा सम्म प्रतिकट्ठा<br>➢ ३०कट्ठा देखि माथीको लागि प्रतिकट्ठा | ५०००।<br>७०००।<br>१००००।<br>२००००। |
| १५ | निजी धारा जडान सिफारिश | प्रत्येक धाराको लागि | २००। |
| १६ | अस्थायी बसोबास | ➢ बसोबास रहेको प्रमाणित<br>➢ धारा विजुली जडान सिफारिश | ५००।<br>३००। |
| १७ | व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | सवै प्रकारका व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर | १००। |
| १८ | भवन निर्माण दरखास्त दस्तुर | भवन निर्माणको लागि दिने दरखास्त दस्तुर | ५००। |
| १९ | नक्कल दस्तुर | कार्यालयबाट उपलब्ध गराएकोमा प्रति पाना<br>निवेदक आफैले उतार गरी लगेका प्रतिपाना | १०। |
| २० | मिलापत्र दस्तुर प्रति पक्ष | नियमअनुसार | |
| २१ | व्यापार व्यवसाय नामसारी /बन्द दस्तुर | नगरपालिकामा दर्ता भई जारी गरिएको व्यवसाय प्रमाणपत्र नियमानुसार नामसारी वा बन्द गर्नपर्दा गर्नु पर्दा नामसारी दस्तुर | १०००। |
| २१ | हैसियत प्रमाणित तथा सिफारिश दस्तुर | क) <u>ऋण र बैदेशिक रोजगारीको लागि</u> :<br>१) रु १० लाख सम्मको लागि रु<br>२) रु २० लाख सम्मको लागि रु<br>३) रु ३० लाख सम्मको लागि रु<br>४) रु ४० लाख सम्मको लागि रु<br>५) रु ५० लाख सम्मको लागि रु<br>६) रु ५० लाख भन्दा माथी प्रत्येक लाखमा लाग्ने थप दस्तुर रु<br><br>ख) <u>बैदेशिक अध्ययनको लागि</u><br>१) रु २० लाख सम्मको लागि रु<br>२) रु ३० लाख सम्मको लागि रु<br>३) रु ४० लाख सम्मको लागि रु<br>४) रु ५० लाख सम्मको लागि रु<br>५) रु ५० लाख भन्दा बढी प्रत्येक लाखमा लाग्ने थप दस्तुर | <br>१०००।<br>१५००।<br>२०००।<br>३०००।<br>४०००।<br>१००।<br><br><br>१५००।<br>२०००।<br>३०००।<br>३५००।<br>१००। |

कटारी नगरपालिका

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ग) अंशबण्डा तथा दान बकस सिफारिशमा<br>घ) नपाबाट तत्काल गरिएको धितो मूल्यांकन सिफारिश पुनः नवीकरण गर्नु पर्दा लागेको दस्तुरको १० प्रतिशत पुनः राजस्व लाग्नेछ | ५००। |
| २२ | उद्योग सिफारिस | न.पा.ले उद्योगको सिफारिस गर्दा | १०००। |
| २३ | निवेदन दस्तुर | साधरण निवेदन | १०। |
| २४ | निवेदन दस्तुर | न्यायिक समिति निदेदन वापत | १००। |
| २५ | शिक्षकको सिटरोल प्रमाणीत | आधारभुत तह<br>.....<br>माध्यामीक तह<br>..... | ५००।<br>१०००। |
| २६ | करार शिक्षक नियुक्ति अभिलेख जनाउने | आधारभुत तह<br>.....<br>माध्यामीक तह<br>..... | १०००।<br>२०००। |
| २७ | आन्तरिक शिक्षक सरुवा सहमती | जाँदा<br>.....<br>आउदा<br>..... | २०००।<br>१०००। |
| २८ | उद्योग ठाउँसारी अनुमती | | ५०००। |
| २९ | लेनदेव / कपाली साक्षी | १ लाख सम्म<br>.....<br>१ लाख भन्दा माथी ..... | २००।<br>३००। |
| ३० | व्यवसाय बन्द,व्यवसाय संचालन नभएको र व्यवसाय नभएको | | ५००। |
| ३१ | हकवाल संरक्षण सम्बन्धि सूचना | | ५००। |
| ३२ | अंश बन्दा सिफारिस | | १०००। |
| ३३ | जग्गा नामसारी | | १०००। |
| ३४ | मोही लगत कट्टा सिफारिस | | १०००। |
| ३५ | मोही जग्गा वा अन्य नामसारी सिफारिस | | १०००। |
| ३६ | नाम,थर,जम्म मिति संशोधन सिफारिस | | २००। |
| ३७ | स्थायी बसोवास सम्बन्धि सिफारिस | | २००। |

कटारी नगरपालिका

| | | | |
|---|---|---|---|
| ३८ | वैवाहिक अंगिकृत सिफारिस | | २००। |
| ३९ | मृत्यु,जन्म ,विवाह जस्ता सिफारिस | | २००। |
| ४० | नागरिकता सिफारिस | | १५०। |
| ४१ | व्यवसाय कर दर्ता प्रमाणपत्रको नक्कल प्रतिलिपि | | २५० |
| ४२ | कृषि समूह | | १५०। |
| ४३ | उपभोत्तला संस्था | | १०००। |
| ४४ | कृषि/ महिला सहकारी | दर्ता<br>नविरकण | १०००।<br>५००। |
| ४५ | बुहउदेश्य सहकारी संस्था | दर्ता<br>नविकरण | ५०००।<br>१०००। |
| ४६ | वचत तथा ऋण सहकरी | दर्ता<br>नविरकण | ५०००।<br>१०००। |
| ४७ | घर कायम | पहिलो तला आर.सि.सि.<br>प्रति थप तला<br>फुसको घरको | १०००।<br>५००।<br>३००। |
| ४७ | बाटो प्रमाणीत | सिद्धिचरणले छोएको ३०० मिटर सम्म<br>मदन भण्डारी राजमार्गले छोएको ३०० मिटर सम्म<br>भित्रि बाटोले छोएको ६ मिटरको बाटो<br>भित्रि बाटोले छोएको ४ मिटरको बाटो | १०००।<br>१०००।<br>५००।<br>३००। |

**२) घरनक्शा पास दस्अतुर**

| सि.नं. | घरको बर्गीकरण | दररेट | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | आर.सी.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर भुई तल्ला सम्म प्रति बर्ग फुट | ५। | |
| २ | आर.सी.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर पहिलो तल्ला प्रति बर्ग फुट | ६। | |
| ३ | आर.सी.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर दोश्रो तल्ला प्रति बर्ग फुट | ७। | |
| ४ | आर.सी.सी.फ्रेमस्ट्रक्चर तेश्रो तल्ला प्रति ब.फि. | ८। | |
| | आर.सी.सी.फ्रेमस्ट्रक्चर चौथो तल्ला प्रति ब.फि. | ९। | |
| | आर.सी.सी.फ्रेमस्ट्रक्चर चौथो तल्ला प्रति ब.फि. | १०। | |
| | सो भन्दा माथि प्रति तल | ११। | |
| ५ | लोड वियरिङ डिजाइनमा बनेका पक्की घरहरु | १२। | |
| ६ | कम्पाउण्ड वाल प्रति रनिङ फिट | ५। | |
| ७ | पाकेको ईटा,ढुङ्गा,माटो,काठ,बाँस,टायल,टिन,एक्सबेस्टर लगायत स्थानीय निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी बनाइने घर प्रति व.फू. | २। | |
| ८ | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र सि.नं १,२,३ र ४को लागि | १०००। | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ९ | घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र सि.नं ६ को लागि | ५००। | |
| १० | घर नक्शा नामसारी दस्तुर भुई तल्ला | १०००। | |
| ११ | घर नक्शा नामसारी दस्तुर दुई तल्ला सम्म | २०००। | |
| १२ | घर नक्शा नामसारी दस्तुर तीन तल्ला र सो भन्दा माथी | ३०००। | |
| १३ | घर नक्शा निवेदन दस्तुर | ५००। | |
| १४ | घर नक्शा प्रतिलिति दस्तुर | १५००। | |
| १५ | नगर क्षेत्रमा निर्माण हुने भौतिक संरचनाको लेआउट नपाको प्राविधिकबाट गराउदा भौतिक संरचनाले ओगटेको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा लाग्ने सेवा शुल्क प्रति ब.फिट | ५। | |
| १६ | अभिलेखिकरण आर.सी.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर भुई तल्ला सम्म प्रति बर्ग फुट | ५। | |
| १७ | अभिलेखिकरण आर.सी.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर पहिलो तल्ला प्रति बर्ग फुट | ६। | |
| १८ | अभिलेखिकरण आर.सी.सी.फ्रेम स्ट्रक्चर दोश्रो तल्ला प्रति बर्ग फुट | ७। | |
| १९ | अभिलेखिकरण आर.सी.सी.फ्रेमस्ट्रक्चर तेश्रो तल्ला प्रति ब.फि. | ८। | |
| २० | अभिलेखिकरण आर.सी.सी.फ्रेमस्ट्रक्चर चौथो तल्ला प्रति ब.फि. | ८। | |
| २१ | अभिलेखिकरण आर.सी.सी.फ्रेमस्ट्रक्चर चौथो तल्ला प्रति ब.फि. | ९। | |
| २२ | अभिलेखिकरणसो भन्दा माथि प्रति तल | १०। | |
| २३ | कच्ची घर | ४। | |
| २४ | भवन निर्माण अमिन खटि जाने | १००० | |

**३. दमकल सेवा शुल्क**

| क्र.सं | करको विवरण | शुल्क दर | कैफियत |
|---|---|---|---|
| १ | **दकमक सेवा** शुल्क भुमिकरसँग जोडेर लिईनेछ | १० रुपैँया | |
| २ | **अन्य सेवा शुल्क बजार क्षेत्र शुल्क** (भुमिकरसँग जोडेर लिईनेछ)<br>**वडा नं १,२ र ५** (शुल्क भुमिकरसँग जोडेर लिईनेछ) | १०० रुपौंया<br>५० रुपैँया | |

## ४.सरसफाई सेवा शुल्क

| | |
|---|---|
| उच्च होटल | रु. ५०० मासिक |
| मध्यम होटल | रु. ३०० मासिक |
| साना होटल | रु. २०० मासिक |
| निजी अस्पताल/पोलिक्लिनीक | रु. ८०० मासिक |
| पक्की घर प्रति तला | रु. १०० मासिक |
| कच्ची घर | रु. ५० मासिक |

**५) सवारी दर्ता तथा बार्षिक व्यवसाय कर**

| सि.नं. | सवारीको किसिम | वार्षिक दर | **कैफियत** |
|---|---|---|---|
| १ | नयाँ सवारी दर्ता | १५००। | |
| २ | सवारी साधन नामसारी शुल्क | १०००। | |
| ३ | सवारी दर्ता प्रमाण-पत्र शुल्क | ३००। | |
| ४ | बस,ट्रक टिपर,ट्यांकर लगायत अन्य ठूला ढुवानी गाडीहरु | २०००। | |
| ५ | रोलर,डोजर,एक्साभेटर,ब्याक-हो लोडर लगायत निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने हेभी इक्वीपमेन्ट | ३०००। | |
| ६ | भाडाको जीप ,कार,म्याजीक गाडी | १०००। | |
| ७ | भाडाको मिनी बस, माईको बस,मिनी ट्रक र पिकअप | १०००। | |
| ८ | निजी जीप,कार,टेम्पो,मिनी बस, माईको बस,पिकअप,डेलिभरी भ्यान आदि | ३०००। | |
| ९ | स्कूटर , मोटर साईकल १५०सिसि सम्मको लागि | १५०। | |
| १० | स्कूटर ,मोटर साईकल १५० सिसि भन्दा माथिको लागि | २००। | |
| ११ | ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युत रिक्सा | ५००। | |
| १२ | अटो रिक्सा | ८००। | |

**६) रिक्सा,ठेला,गाडा दर्ता तथा नामसारी नविकरण तथा ईजाजत शुल्क ( बार्षिक शुल्क )**

| **सि.नं.** | **साधनको विवरण** | **लाग्ने शुल्क** | **कैफियत** |
|---|---|---|---|
| १ | मानिसबाट चलाउने साधनहरु :रिक्सा,ठेला | १००। | |
| २ | पशुको प्रयोग गरी चलाउने साधनहरु :टांगा, गाडा आदि | १५०। | |

**नोट :**

- पुराना दिर्घरोगी,क्यान्स,मृगौला तथा मुटुरोगी जस्ता रोगीलाई उपचार तथा सहयोगका लागि सिफारिस निशुल्क गर्ने ।
- विदेशी नागरिको हकमा विदेश खुल्ले प्रमाणको आधारमा संचालन गर्ने व्यवसायको हकमा शत प्रतिशत थप रकम लिएर व्यवसाय दर्ता गर्ने ।

**आज्ञाले**
गणेश प्रसाद अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कटारी नगरपालिका

# कटारी नगरपालिका
## नगरकार्यपालिकाको कार्यालय
# विनियोजन ऐन, २०७७

नगर बाट स्वीकृत मितिः २०७७/०३/२०

**प्रस्तावनाः**

कटारी नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चितकोषबाट केही रकमखर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उप-धारा (२) बमोजिम कटारी नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्तनामर प्रारम्भः**

(१) यस ऐनको नाम "कटारी नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७" रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निमित्त सञ्चितकोषबाट रकमखर्च गर्ने अधिकार**:

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निमित्त नगरकार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुका निमित्त अनुसूची १ मा उल्लिखित चालू खर्च, पूँजिगतखर्च र बित्तिय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. **७१,१९,४९,१९०।००** (अक्षेरुपी एकहत्तर करोड उन्नाईस लाख उन्नचास हजार एक सय नब्बे रुपैया मात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चितकोषबाट खर्च गर्न सकिने छ ।

३. **विनियोजनः**

(१) यस ऐनद्धारा सञ्चितकोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को निमित्त कटारी नगरपालिको नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) माजुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग

हुने देखिन आएमा नगरकार्यपालिकाले बचत हुने शिर्षकबाट नपुगहुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ । यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन सकिनेछ । पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षक तर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्च तर्फ बिनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन ।

तर चालु तथा पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रतिशत भन्दा बढ्ने गरी कुनै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा नगर सभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

कटारी नगरपालिका

# अनुसूचि-१
## (दफा २ संग सम्बन्धित)
## नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोजिम
## संञ्चितकोषबाट विनियोजन हुने रकम

| सि.नं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम | विनियोजन रु. | स्रोत | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | आन्तरिक श्रोत | अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण | | कैफियत |
| | | | | नेपाल सरकार | प्रदेश सरकार | |
| **कटारी नगरपालिका - ८०१११४०११०१** | | | | | | |
| १ | पारिश्रमिक कर्मचारी | १,५५,००,००० | १,५५,००,००० | | | |
| २ | पारिश्रमिक पदाधिकारी | १,१०,००,००० | १,१०,००,००० | | | |
| ३ | पोशाक | १०,५०,००० | १०,५०,००० | | | |
| ४ | खाद्यान्न (रासन) नगर प्रहरी, दमकल | ७,००,००० | ७,००,००० | | | |
| ५ | महंगी भत्ता | ११,००,००० | ११,००,००० | | | |
| ६ | कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ७ | पदाधिकारी बैठक भत्ता | ३५,००,००० | ३५,००,००० | | | |
| ८ | कर्मचारी कल्याण कोष | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ९ | पानी तथा बिजुली | ७,००,००० | ७,००,००० | | | |
| १० | वाईफाइ जोन | ३,००,००० | ३,००,००० | | | |
| ११ | संचार महसुल | ७,००,००० | ७,००,००० | | | |
| १२ | इन्धन (पदाधिकारी) | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| १३ | इन्धन (कार्यालय प्रयोजन) | २८,००,००० | २८,००,००० | | | |
| १४ | बिमा तथा नवीकरण खर्च | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| १५ | मेशिनरी तथा औजार मर्मत | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| १६ | सवारी साधन मर्मत खर्च | ३०,००,००० | ३०,००,००० | | | |
| १७ | निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| १८ | मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री | २०,००,००० | २०,००,००० | | | |
| १९ | पुस्तक तथा सामग्री खर्च | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| २० | इन्धन - अन्य प्रयोजन | ५०,००० | ५०,००० | | | |
| २१ | क्यालेण्डर र अन्य सामाग्री छपाई | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| २२ | पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च | २०,००,००० | २०,००,००० | | | |
| २३ | सेवा र परामर्श खर्च (सर्वेक्षण, अनुसन्धान, डिजाईन, वकिल) | २०,००,००० | २०,००,००० | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २४ | सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| २५ | करार सेवा शुल्क | १,१८,००,००० | १,१८,००,००० | | | |
| २६ | नगर प्रहरी व्यवस्थापन खर्च | २०,००,००० | २०,००,००० | | | |
| २७ | बेवारिसे लास व्यवस्थापन | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| २८ | सरसफाई तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| २९ | अन्य सेवा शुल्क | १,०१,६८,८७० | १,००,७९,८७० | | ८९,००० | |
| ३० | कर्मचारी तालिम खर्च | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ३१ | कटारी अस्पताल व्यवस्थापन सहयोग | ११,५५,००० | ११,५५,००० | | | |
| ३२ | कृषि, पशु कार्यक्रम | १,६०,००,००० | १,६०,००,००० | | | |
| ३३ | कार्यक्रम खर्च | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ३४ | कोरोना भाईरस रोकथाम कार्यक्रम | ६७,००,००० | ६७,००,००० | | | |
| ३५ | नगर साझेदारी कार्यक्रम | १९,३०,५०० | १९,३०,५०० | | | |
| ३६ | नगर साझेदारी कार्यक्रम | ३०,६९,००० | ३०,६९,००० | | | |
| ३७ | न्यायिक समिति व्यवस्थापन कार्यक्रम | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ३८ | मेयर कप (खेलकुद) कार्यक्रम | ३०,००,००० | ३०,००,००० | | | |
| ३९ | महिला सुरक्षित गृह संचालन व्यवस्थापन कार्यक्रम | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ४० | विपद व्यवस्थापन तथा राहत वितरण कार्यक्रम | २५,००,००० | २५,००,००० | | | |
| ४१ | स्थानीय सूचना प्रचार प्रसारण कार्यक्रम | ९,००,००० | ९,००,००० | | | |
| ४२ | स्थानीय सुरक्षा निकाय सहयोग कार्यक्रम | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ४३ | सहकारी संस्था व्यवस्थापन कार्यक्रम | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ४४ | जिम्मेवारी सरी आएको चालु खर्च भुक्तानी | ३०,००,००० | ३०,००,००० | | | |
| ४५ | विविध कार्यक्रम खर्च | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ४६ | अनुगमन, मूल्यांकन खर्च | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ४७ | सरुवा भ्रमण खर्च | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ४८ | विविध खर्च | २५,००,००० | २५,००,००० | | | |
| ४९ | सभा सञ्चालन खर्च (२ पटक) | ७,००,००० | ७,००,००० | | | |
| ५० | उपचार सेवा औषधी खरिद कार्यक्रम आकस्मिक महामारी | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रोग नियन्त्रण भ्याक्सिन खरिद तथा भ्याक्सिन | | | | | |
| ५१ | मानसिक रोगीहरुको औषधी खरिद | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ५२ | अन्य सामाजिक सहायता (आर्थिक सहायता) | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ५३ | घरभाडा | १०,००,००० | | | १०,००,००० | |
| ५४ | सवारी साधन तथा मेशिनर औजार भाडा | ७,००,००० | | ७,००,००० | | |
| ५५ | ढुवानी | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ५६ | राजस्व दाखिला | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ५७ | अन्य फिर्ता | ७,८०,३२० | ७,८०,३२० | | | |
| ५८ | गत/विगत आवको फिर्ता रकम | १७,००,००० | १७,००,००० | | | |
| ५९ | अधुरो नपा भवन निर्माण | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ६० | ओम शान्ति भवन निर्माण | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ६१ | सर्वजनिक जग्गा संरक्षण | ५,००,००० | | | ५,००,००० | |
| ६२ | एम्बुलेन्स खरिद (खरिद प्रकृया शुरु भएको) | १२,००,००० | १२,००,००० | | | |
| ६३ | सब बहान खरिद | १५,००,००० | १५,००,००० | | | |
| ६४ | फिटनेस सामाग्री खरिद | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ६५ | मेशिनरी तथा औजार | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ६६ | फर्निचर तथा फिक्चर्स | २५,००,००० | २५,००,००० | | | |
| ६७ | ताराघारी-च्याङ्गा सडक निर्माण | १,००,००,००० | १,००,००,००० | | | |
| ६८ | सडक बत्ती जडान मर्मत (साझेदारी) | ४०,००,००० | ४०,००,००० | | | |
| ६९ | नयाँ सिँचाई योजना, साना सिंचाई कार्यक्रम (कटारी नगरपालिका ७ वटा) | ५१,३५,००० | ५१,३५,००० | | | |
| ७० | कटारी अस्पताल व्यवस्थापन सहयोग | २३,४५,००० | २३,४५,००० | | | |
| ७१ | कटारी टाइगर फिल्ड मर्मत | २०,००,००० | | | २०,००,००० | |
| ७२ | कवर्ड हल व्यवस्थापन | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ७३ | गत आवको योजना क्रमागत | ८३,००,००० | ८३,००,००० | | | |
| ७४ | जिम्मेवारी सरी आएको क्रमागत योजनाहरु | ९२,६५,००० | ९२,६५,००० | | | |
| ७५ | नगर साझेदारी कार्यक्रम (नगर उप-प्रमुख) | ३९,१९,५०० | ३९,१९,५०० | | | |
| ७६ | नगर साझेदारी कार्यक्रम (नगर - प्रमुख) | ६२,३१,००० | ६२,३१,००० | | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ७७ | स्मृती वाटिका व्यवस्थापन | ६,००,००० | ६,००,००० | | | |
| ७८ | समपुरक कोष (नगर साझेदारी कार्यक्रम) | ४,००,००,००० | ३,५८,१३,००० | | ४१,८७,००० | |
| ७९ | सिमसार व्यवस्थापन | २५,००,००० | | २५,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.१ - ८०१११४०१२०१** | | | | | | |
| ८० | कृषि तथा पशुपालन उन्नत जातका बोका खरिद कार्यक्रम | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ८१ | महिला लक्षित कार्यक्रम | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ८२ | महिला स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र व्यवस्थापन कार्यक्रम | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| ८३ | यूवा लक्षित कार्यक्रम (बेलसोत) | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ८४ | सडक स्तरोन्नती | ३०,००,००० | | ३०,००,००० | | |
| ८५ | खानेपानी पाईप खरिद | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ८६ | साना सिंचाई योजना इनार निर्माण (वडा भरी) | १९,५०,००० | | १९,५०,००० | | |
| ८७ | जनज्योती आधारभुत विद्यालय मर्मत | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ८८ | वडा कार्यालय व्यवस्थापन | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.२ - ८०१११४०१२०२** | | | | | | |
| ८९ | कृषि (प्रविधि हस्तान्तरण) कार्यक्रम | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ९० | कल्याणपुर भित्री बाटो ढलान | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| ९१ | ठुलो ददरिया बाटो स्तरोन्नती | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ९२ | गिद्धबर गल्छी नियन्त्रण | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| ९३ | जमदारी खहरे नियन्त्रण सानो ददरिया | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ९४ | तल्लोताल सिंचाई | ८,७५,००० | | ८,७५,००० | | |
| ९५ | माझीटोल, झाक्रीटोल र धमलाटोल विद्युत सिँचाई | २,७५,००० | | २,७५,००० | | |
| ९६ | इनार खोक्सा | १,८०,००० | | १,८०,००० | | |
| ९७ | कल्याणपुर कुनाई इनार निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ९८ | गराँस इनार निर्माण | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| ९९ | गिद्धबर ईनार निर्माण (४ वटा) | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १०० | सिमानपुर ईनार निर्माण २ वटा | १,२०,००० | | १,२०,००० | | |
| १०१ | मझुवा बगैचा घेरावेरा | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १०२ | कमलाघाट गिता आश्रम | ९,००,००० | | ९,००,००० | | |
| १०३ | क्लब भवन निर्माण खोक्सा | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १०४ | कल्याणपुर कुनाई राधाकृष्ण मन्दिर | २,००,००० | | २,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १०५ | कल्याणपुर मा.वि. सिमानपुर घेरावेरा | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १०६ | गुम्बा शौचालय निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १०७ | चोकटोल, तामाङ्गटोल प्रतिक्षालय र क्रियापुत्री भवन निर्माण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १०८ | ठुलो ददरिया समूह भवन निर्माण तथा घेरावेरा | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १०९ | सानो ददरिया शिव मन्दिर तथा ईनार निर्माण | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.३ - ८०१११४०१२०३** | | | | | | |
| ११० | सिलाई कटाई तालिम - हडैया, अम्टाही, च्याँगा र कटारी वजार | ६,००,००० | | ६,००,००० | | |
| १११ | ब्याडे राँगा खरिद | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ११२ | बोयर बाख्रा पालन श्रोत केन्द्र स्थापना (ताराघारी) | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ११३ | अम्टाही देविधाप भित्री सडक नाला निर्माण | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| ११४ | गोलपार्क देखि साङ्ग तामाङ्गको घर सम्म नालाको स्ल्याप निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ११५ | देविधापबाट तावाखोला जाने सडक स्तरोन्नती | ७,००,००० | | ७,००,००० | | |
| ११६ | सगरमाथा स्कुल देखि ठाडोबाटो फराकिलो बनाउने र ग्राभेल गर्ने कार्य | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ११७ | हडैया बलिया कृषि सडक स्तर उन्नती | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ११८ | विद्युत विस्तार तारपोल खरिद | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ११९ | च्याँगा खेल मैदान संरक्षण बाँध निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १२० | ताराघारी तटबाँध सुगाजोर खहरे खोला | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १२१ | हडैया बलिया तावाखोला नदि नियन्त्रण | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| १२२ | सिँचाईका लागि जलाशय निर्माण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १२३ | च्याँगा खानेपानि मुहान मर्मत | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १२४ | साना कृषी सिँचाई तथा ईनार निर्माण | ७,००,००० | | ७,००,००० | | |
| १२५ | मर्मत संभार | १,००,००० | | १,००,००० | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १२६ | मलामी घर निर्माण अमटाही | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १२७ | वडा कार्यालय शौचालय निर्माण | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १२८ | सामुहिक कृषि पोखरी निर्माण (हडैया) | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १२९ | चुरिया आधारभुत विद्यालय मर्मत सुधार | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.४ - ८०१११४०१२०४** | | | | | | |
| १३० | कृषि र पशु कार्यक्रम | २०,००,००० | | २०,००,००० | | |
| १३१ | वडास्तरीय फुटवल प्रतियोगिता कार्यक्रम | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १३२ | श्री जनता आधारभुत विद्यालय फुलवारी सिरान विद्यालय सुधार र अनुदान | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १३३ | खानेपानी ट्यांकी देखि वडा नं. ३ र ४ को सिमाना सम्म सडक स्तरोन्नती । | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १३४ | पिपल बोट छेउ खोल्सी कल्भर्ट निर्माण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १३५ | वडा नं. ४ को सडक बाटो मर्मत सुधार | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १३६ | श्री मरुवा मावि जाने बाटो नाला निर्माण | ३,५०,००० | | ३,५०,००० | | |
| १३७ | विद्युत विस्तार | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १३८ | गबुवा कल्भर्ट पूर्व दक्षिण नदि नियन्त्रण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १३९ | मिलन टोल विद्युतीय खानेपानी तथा सरसफाईको लागि । | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १४० | ४ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माणको लागि वडाको सहभागिता (म्याचिङ्ग फण्ड रकम) | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| १४१ | श्री आधारभुत विद्यालय जहडी सिम्ले भवन निर्माण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १४२ | साथी समूह शौचालय निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १४३ | श्री देवि आधारभुत विद्यालय वैरेनी मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| १४४ | श्री मरुवा मावि विद्यालय भौतिक सुधार | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.५ - ८०१११४०१२०५** | | | | | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १४५ | वडा स्तरिय कृषि उपज प्रसोधन तथा सिप विकास कार्यक्रम | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १४६ | वडा स्तरिय कृषि विकास कार्यक्रम | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| १४७ | काशिराज राई मार्ग सडक निर्माण योजना भुल्के | ६,००,००० | | ६,००,००० | | |
| १४८ | खाडिखोप रिङ्ग रोड स्तर सुधार योजना खाडिखोप | ३,५०,००० | | ३,५०,००० | | |
| १४९ | तल्लो बनवारी-जलेश्वर ताल सडक स्तर सुधार योजना खैरेनी | ६,००,००० | | ६,००,००० | | |
| १५० | भुल्के कृषि क्याम्पस सडक स्तर सुधार योजना दशविगे | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १५१ | भोर्ले रिङ्ग रोड स्तर सुधार योजना भोर्ले | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १५२ | मिलन चोक-भोर्ले सडक स्तर सुधार योजना | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १५३ | रातु पूर्व सोक्लाहा विच सडक सुधार | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| १५४ | लालपुर शाखा सडक सुधार योजना | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १५५ | सिमलटार टुक्रे मार्ग सुधार योजना सिमलटार | ३,५०,००० | | ३,५०,००० | | |
| १५६ | धमला टोल सिरान चोक कृषि इनार योजना भोर्ले | १,२५,००० | | १,२५,००० | | |
| १५७ | खैरेनी खानेपानी मर्मत योजना खैरेनी | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| १५८ | खैरेनी-तिनतले कृषि इनार -३ वटा निर्माण बनुवा चाकिया | २,१०,००० | | २,१०,००० | | |
| १५९ | बैजुटोल-कृषि क्याम्पस टोल इनार निर्माण २ वटा | १,६०,००० | | १,६०,००० | | |
| १६० | भुल्के इनार मर्मत-२ वटा धनराज कुन्ता | ७५,००० | | ७५,००० | | |
| १६१ | भुल्के धना टोल इनार निर्माण योजना भुल्के | ७०,००० | | ७०,००० | | |
| १६२ | विच सोक्लाहा इनार निर्माण योजना | ८०,००० | | ८०,००० | | |
| १६३ | गैरीटोल कृषि इनार कृषी सडक योजना दशविघे | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १६४ | दशविघे सिरान पहिरो नियन्त्रण | २,००,००० | | २,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १६५ | माथिल्लो सोक्ला सडक, ईनार निर्माण योजना सोक्ला | २,८०,००० | | २,८०,००० | | |
| १६६ | रैका खोल्सा-मुसहर टोल सुधार योजना तिनतले | ३,५०,००० | | ३,५०,००० | | |
| १६७ | सिसाघारी दनुवार बस्ती सुधार योजना सिसाघारी | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.६ - ८०१११४०१२०६** | | | | | | |
| १६८ | महिला कार्यक्रम | ३०,००० | | ३०,००० | | |
| १६९ | सडक मर्मत सम्भार तथा डगर सुधार | १२,५०,००० | | १२,५०,००० | | |
| १७० | नदि नियन्त्रण तथा भूसंरक्षण | १८,००,००० | | १८,००,००० | | |
| १७१ | सिँचाई-कुलो, कृषि ईनार निर्माण तथा मर्मत | १७,००,००० | | १७,००,००० | | |
| १७२ | खा.पा. योजना निर्माण तथा मर्मत | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| १७३ | नगर साझेदारी कार्यक्रम | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| १७४ | प्रहरी चौकी घेरावेरा | ७०,००० | | ७०,००० | | |
| १७५ | वडा कार्यालयको भौतिक सुधार | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.७ - ८०१११४०१२०७** | | | | | | |
| १७६ | कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| १७७ | कृषि सामाग्री खरिद | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १७८ | जनचेतना मूलक कार्यक्रम | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| १७९ | महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| १८० | चारपाटे शाखा सडक स्तरोन्नती | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १८१ | पाट्ने धर्मभकारी बुढाबुढी सडक स्तरोन्नती | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १८२ | मर्जेतपुर शाखा सडक स्तरोन्नती | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १८३ | विहिवारे तपि बेलकोट सडक स्तरोन्नती | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १८४ | स्वास्थ्य चौकी धमीनिडाँडा सानोमाकुरे कचालटोल देखि ठुलो माकुरे सडक | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १८५ | खुलालडाँडा मुनी बैद्यनाथ खोला नदी नियन्त्रणा | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| १८६ | धर्मभकारी बुढावुढी सिँचाई कुलो | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| १८७ | बिहिवारे कालिखोला कुलो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| १८८ | माथीगाउँ मुल कुलो र खत्री कुलो | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| १८९ | राजावास कालिखोला कुलो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| १९० | सानो माकुरे, चितुवा खोल्सा कुलो | २,००,००० | | २,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १९१ | खुलालडाँडा खानेपानी व्यवस्थापन | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| १९२ | गकुले, धमिनिडाँडा, सानो माकुने इनार निर्माण तथा मर्मत | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १९३ | डिपबोरिङ्ग इनार निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १९४ | तपी खानेपानी मर्मत | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १९५ | धर्मभकारी खानेपानी मर्मत | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| १९६ | विहिवारे खेल मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| १९७ | कालिका मावि व्यवस्थापन | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| १९८ | जनज्योती आधारभुत प्रावि घेरावेरा | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| १९९ | प्रहरी चौकी व्यवस्थापन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २०० | पशुपति प्रावि तपि विद्यालय व्यवस्थापन | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २०१ | वडा कार्यालय भवन व्यवस्थापन | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २०२ | स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.८ - ८०१११४०१२०८** | | | | | | |
| २०३ | कृषि तथा पशु व्यवसायिक कार्यक्रम | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| २०४ | खेलकुद सम्वन्धी कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २०५ | लक्षित वर्ग तर्फ कार्यक्रम | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २०६ | सुत्केरी भेटघाट तथा बालबचत कार्यक्रम | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २०७ | कोलबोट मोटर बाटो मर्मत निर्माण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २०८ | खमारे मोटर बाटो मर्मत निर्माण | ८,००,००० | | ८,००,००० | | |
| २०९ | बेल्टार पुल निर्माण | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २१० | रानी डाडाँ मोटर बाटो मर्मत निर्माण | ६,००,००० | | ६,००,००० | | |
| २११ | वडा स्तरिय मोटरबाटो मर्मत निर्माण | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २१२ | हलदे खोल्मेडाँडा मोटर बाटो मर्मत निर्माण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २१३ | जाल्पा देवि मावि सहकारी चर्पि निर्माण | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| २१४ | बस्ती विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ता वितरण | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २१५ | शिव मन्दिर खोर भञ्ज्याङ्ग निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २१६ | शिव मन्दिर भान्टावारी निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २१७ | वडा कार्यालय व्यवस्थापन | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.९ - ८०१११४०१२०९** | | | | | | |
| २१८ | खेलकुद कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २१९ | महिला तथा वालवालिका लक्षित कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २२० | शैक्षिक सुधार तथा विद्यालय संचालन अनुदान आवि सिरिसे १-८ | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २२१ | शैक्षिक सुधार तथा विद्यालय संचालन अनुदान मावि लिम्पाटार | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २२२ | स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण | ७,००,००० | | ७,००,००० | | |
| २२३ | बाझगाउँ, सिरिसे बतासे र खानि भञ्ज्याङ्ग ३ वटा मिल खरिद | ४,५०,००० | | ४,५०,००० | | |
| २२४ | कटारी नगरपालिका वडा नं. ९ को सडक मर्मत | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| २२५ | होम पाइप जाली खरिद | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २२६ | कृषि तथा सिँचाई वडा नं. ९ | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २२७ | खानेपानी व्यवस्थापन | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २२८ | आ.वि. १-३ बतासे घेरावेरा तथा व्यवस्थापन | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २२९ | चनौटे, हुलाकडाँडा र सुन्दरपुर ३ वटा मन्दिर निर्माण | ६,००,००० | | ६,००,००० | | |
| २३० | राउतखर्क गेट निर्माण | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २३१ | लिम्पाटार खेलमैदान व्यवस्थापन | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २३२ | लिम्पाटार शिव मन्दिर निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २३३ | सचेतना केन्द्र भवन व्यवस्थापन तथा शौचालय निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २३४ | आधारभूत विद्यालय सिरिसे १-८ घेरवेरा | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| २३५ | तिनकन्या देविथान घेरावेरा | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| २३६ | मावि लिम्पाटार घेरावेरा | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.१० - ८०१११४०१२१०** | | | | | | |
| २३७ | उन्नत नश्लको बोयर जातको बोका खरिद तथा वितरण कार्यक्रम | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २३८ | वडा प्रोफाईल कनपा १० | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २३९ | अर्खौले खण्ड कृषि सडक बाटो | २,००,००० | | २,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २४० | ककनी देवस्थान मोटर बाटो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २४१ | खरीबोट लाम्पाते बैरीडाँडा कृषि सडक बाटो स्तरोन्नती | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| २४२ | चुकिया देखि मावि मोटर बाटो स्तरोन्नती | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २४३ | तिरमिरे ठाडावारी कृषि सडक बाटो | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २४४ | तिल्केटार मोटर बाटो | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| २४५ | दशमुरे चिप्टार सोता मोटर बाटो स्तरोन्नती | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २४६ | प्रा.वि वरडाँडा मोटर बाटो | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २४७ | पाल्सिङ्ग दुईघरे चुकिया कृषि सडक बाटो योजना | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| २४८ | पिनापु स्कुल देखि ह्याकुलो कृषि सडक बाटो | ७,००,००० | | ७,००,००० | | |
| २४९ | भालुखोला झगरेटार मोटर बाटो | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २५० | मोटर बाटो मर्मत तथा सरसफाई | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २५१ | सुनगाभा मोटर बाटो स्तरोन्नती | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २५२ | प्रतिक्षालय निर्माण दशमुरे | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २५३ | मेल मैदान निर्माण साविक ४ | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २५४ | वडा कार्यालय व्यवस्थापन | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.११ - ८०१११४०१२११** | | | | | | |
| २५५ | महिला लक्षित कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २५६ | विभिन्न फर्म तथा समूहका कृषकहरुलाई नश्ल सुधारको लागी बोका खरिद | ३,५०,००० | | ३,५०,००० | | |
| २५७ | जनजाती भवन निर्माण हर्देनी | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २५८ | नयाँ रोड सिरुवानी, लप्से, पात्ले, बाँसवारी सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नती | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २५९ | बेतेनी, चिलाउने, हुप्टार, कटुन्जे सडक निर्माण मर्मत तथा स्तरोन्नती | १०,५०,००० | | १०,५०,००० | | |
| २६० | हर्देनी, कात्तिके, गोठडाँडा ..... टावरडाँडा सडक निर्माण मर्मत तथा स्तरोन्नती | ११,००,००० | | ११,००,००० | | |
| २६१ | वडा भरीका खहरे खोला तथा पहिरो रोकथाम | २,००,००० | | २,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २६२ | हुप्टार, कटुन्जे, चिलाउने लप्से बाँसवारी गहुँवरी काफलडाँडा र गार्पा खापा योजना निर्माण तथा मर्मत | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २६३ | पंचावती मन्दिर हुप्टार र कालिका देवी मन्दिर गहुँवारी निर्माण तथा मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २६४ | बजार व्यवस्थापनका लागि भौतिक संरचना निर्माण नर्सरी निर्माण तथा कृषि औजार आधुनिकरण | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| २६५ | शिव पार्वती मन्दिर गोठडाँडा निर्माण | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २६६ | प्रा. वि. गोठडाँडा कार्यालय व्यवस्थापन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २६७ | प्रा. वि. बेतेनी कार्यालय व्यवस्थापन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २६८ | प्रा. वि. बाँसवारी कार्यालय व्यवस्थापन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २६९ | मा. वि. हर्देनी कार्यालय व्यवस्थापन | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २७० | स्वास्थ्य कार्यालय व्यवस्थापन तथा वडा कार्यालय व्यवस्थापन | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २७१ | हर्देनी महिला भवन मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.१२ - ८०१११४०१२१२** | | | | | | |
| २७२ | महिला हिंसा बाल विवाह विरुद्ब जन प्रतिनिधिसँग महिला वालवालिका अन्तरकृया कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २७३ | वडा स्तरिय कृषि तथा पशु व्यवसायिक कार्यक्रम | १३,००,००० | | १३,००,००० | | |
| २७४ | आधारभुत विद्यालय चिलाउने शैक्षिक सुधार अनुदान | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २७५ | प्रा. वि. तह विद्यालय शैक्षिक सामाग्री वितरण | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| २७६ | तल्लो बसेरी महिला भवन निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २७७ | प्रहरी चौकी चिलाउने महिला सामुदायिक भवन कार्यालय सामाग्री फर्निचर व्यवस्थापन | ५०,००० | | ५०,००० | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| २७८ | वडा कार्यालय सम्म नेट फाईवर विस्तार | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २७९ | नागदह सडक मर्मत | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| २८० | बसेरी खानिडाँडा सिम्ले बाटो मर्मत विस्तार | ७,००,००० | | ७,००,००० | | |
| २८१ | बसेरी चिलाउने सिमलबोट सडक मर्मत | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| २८२ | राम्चेथुम्का बर्रे अर्ना घोप्टे कृषि सडक मर्मत तथा विस्तार | ८,००,००० | | ८,००,००० | | |
| २८३ | सालडाँडा दलित बस्ती सडक निर्माण | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २८४ | सिक्रे बसेरी हरिथुम्का अधेरीगैरी सडक मर्मत | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २८५ | वडा स्तरिय सिँचाई कुलो मर्मत योजना | ७,००,००० | | ७,००,००० | | |
| २८६ | वडाका विभिन्न खा.पा. मर्मत योजना | ६,५०,००० | | ६,५०,००० | | |
| २८७ | बर्रे मिर्गस्थली संरक्षण तथा निर्माण योजना | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| २८८ | राम्चेथुम्का महिला भवन तथा शौचालय निर्माण | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| २८९ | चिलाउने महादेव मन्दिर निर्माण योजना | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.१३ - ८०१११४०१२१३** | | | | | | |
| २९० | घटना दर्ता अभियान (वडा स्तरीय) | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| २९१ | राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता कार्यक्रम | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| २९२ | वडा स्तरिय बाल दिवस कार्यक्रम | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| २९३ | विउ विजन खरिद | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| २९४ | गाउँघर क्लिनिक भवन निर्माण भुस्कुन | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २९५ | गोठ सुधार कार्यक्रम | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| २९६ | बरवास लामा घर निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| २९७ | कुटनी पिसनी मिल खरिद | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २९८ | टनेल खरिद | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| २९९ | मिनि टेलर खरिद | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ३०० | तिनखण्डे गालभञ्ज्याङ्ग तिन दोभान सम्म ट्र्याक विस्तार | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३०१ | सम्पूर्ण सडक मर्मत (वडा स्तरिय) | २०,००,००० | | २०,००,००० | | |
| ३०२ | देविथान बरपिपल कुलो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३०३ | बरवास दोभान जोगी खेत कुलो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३०४ | माथिल्लो सानो फलामे कुलो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३०५ | विरुटार टारी कुलो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३०६ | चौकी खोला तल्लो गकुले खापा पाइप खरिद | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३०७ | छुचुन्द्रे खा.पा. पाईप खरिद | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३०८ | झाकीटार मोहनटार खा.पा. मर्मत | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ३०९ | पिपलगैरा खलंगा खा.पा. योजना | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३१० | वडा स्तरीय खानेपानी मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३११ | विर्ता टोल खा.पा. मर्मत | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ३१२ | तिनखण्डे शिव मन्दिर निर्मा आहाल बस्ती नं ५ | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ३१३ | नुनथला प्रतिक्षालय निर्माण | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३१४ | बलौटे हुलाके कुलो मर्मत | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ३१५ | विपन्न अपाङ्गगता सुकुम्वासी परिवार जस्ता वितरण कार्यक्रम (वडा स्तरिय) | ५,००,००० | | ५,००,००० | | |
| ३१६ | शहिद पार्क निर्माण | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ३१७ | हे. पो. मयाँखु शौचालय मर्मत | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| ३१८ | हाइटेक नर्सरी निर्माण | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ३१९ | दलित जनजाती कार्यालय व्यवस्थापन | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| ३२० | वडा कार्यालय व्यवस्थापन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका वडा नं.१४ - ८०१११४०१२१४** | | | | | | |
| ३२१ | कृषि कार्यक्रम-कृषि यान्त्रिकीकरण, विउ विजन र उन्नत जातका बयर बोका खरिद तथा वितरण कार्यक्रम | २५,००,००० | | २५,००,००० | | |
| ३२२ | महिला संजाल कार्यक्रम | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| ३२३ | १४ नं. वडा स्तरीय सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण | ३०,००,००० | | ३०,००,००० | | |
| ३२४ | भदौरे बादुरा ढोडेनी सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| ३२५ | चन्द्रवती मावि लेखानीमा कम्पाउण्ड निर्माण तथ फर्निचर | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३२६ | वडा स्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास | १६,५०,००० | | १६,५०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका - शिक्षा - ८०१११४०१३०१** | | | | | | |
| ३२७ | स.का. विद्यालय कर्मचारी परिचय प्रोत्साहन | १७,४०,००० | १७,४०,००० | | | |
| ३२८ | नगर पुस्तकालय व्यवस्थापन | ५०,००० | ५०,००० | | | |
| ३२९ | विषयगत सूचक निर्माण र पात्रो निर्माण | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३३० | कोरोना सम्वन्धी मनोपरामर्श सेवा विद्यालय स्तर | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ३३१ | कम्प्युटर प्रविष्टि लेखा तालिम | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ३३२ | अभिभावक शिक्षा, शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम | ३,००,००० | ३,००,००० | | | |
| ३३३ | उत्कृष्ट छात्र/छात्रा, तहगत शिक्षक, प्र.अ. सम्मान कार्यक्रम | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ३३४ | कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन अपुग | ६,००,००० | ६,००,००० | | | |
| ३३५ | नगर शैक्षिक प्रोफाइल निर्माण | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ३३६ | प्रतिभाको खोजि र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन | १,५०,००० | १,५०,००० | | | |
| ३३७ | बालक्लव कार्यक्रम सञ्चालन र बैठक | ६,००,००० | ६,००,००० | | | |
| ३३८ | भाषा, कला र साहित्य सम्वन्धी प्रवर्द्बन कार्यक्रम | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३३९ | राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगता सञ्चालन | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३४० | स्थानीय पाठ्यक्रम नर्माण | ५०,००० | ५०,००० | | | |
| ३४१ | सिमान्तकृत बालवालिका (थामी, मुसहर) का लागी प्रोत्साहन कार्यक्रम | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३४२ | विद्यालय शैक्षिक अवलोकन भ्रमण | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३४३ | सघन विद्यालय अनुगमन | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३४४ | वडा शिक्षा समिति कार्यक्रम र बैठक भत्ता/खाजा | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ३४५ | अंग्रेजी माध्यमबाट अध्यापन गर्ने विद्यालयलाई अनुदान (बढीमा ४ वटा विद्यालय) | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ३४६ | उदयश्री क्याम्पस सञ्चालन अनुदान | ७,००,००० | ७,००,००० | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३४७ | जिरो दरबन्दी भएका प्रावि अनुदान | १४,००,००० | १४,००,००० | | | |
| ३४८ | बाल कक्षाका नानीहरुलाई झोला, टिफिन बक्स वितरण | ३,००,००० | ३,००,००० | | | |
| ३४९ | मा.वि. विद्यालय खेलकुद सञ्चालन अनुदान | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ३५० | श्रोतव्यक्ती सट्टा शिक्षक अनुदान | ४,६०,००० | ४,६०,००० | | | |
| ३५१ | उदयश्री क्याम्पसमा अध्यनरत छात्र छात्राका लागि उपमेयरसँग छात्रछात्रावृत्ती कार्यक्रम | ५०,००० | ५०,००० | | | |
| ३५२ | प्रविधिमैत्री विद्यालयका लागि एक विद्यालय एक ल्यापटप/कम्प्यूटर वितरण | १४,००,००० | १४,००,००० | | | |
| ३५३ | विद्यालय फर्निचर सामाग्री वितरण | ३,००,००० | ३,००,००० | | | |
| ३५४ | विद्यालय मर्मत सम्भार | ४,५०,००० | ४,५०,००० | | | |
| **कटारी नगरपालिका - स्वास्थ्य - ८०१११४०१३०२** | | | | | | |
| ३५५ | उत्कृष्ट काम गर्ने संस्था तथा कर्मचारीलाई पुरस्का | ५०,००० | ५०,००० | | | |
| ३५६ | कार्यालय व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य चौकी प्रशासनिक खर्च | २,००,००० | २,००,००० | | | |
| ३५७ | किशोर किशोरी मैत्री स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३५८ | चौँथो गर्भजाँच नियमितताको लागि आयोडिन युक्त नुन स्वास्थ्य संस्थाबाट वितरण | १,००,००० | १,००,००० | | | |
| ३५९ | दिर्घरोगीको स्क्रीनिङ्ग तथा उपचार शिविर | ३,००,००० | ३,००,००० | | | |
| ३६० | पाठेघर क्यान्सर VIA जाँच तथा पाठेघर खस्न समस्याका व्यवस्थापनका लागि क्याम्प सञ्चालन | ४,००,००० | ४,००,००० | | | |
| ३६१ | महिला स्वास्थ्य स्वयम सेवक कार्यक्रम (मासिक १ हजारका दरले समिक्षा समेत) | १४,००,००० | १४,००,००० | | | |
| ३६२ | सुत्केरीका लागि पोषण सम्वन्धी कार्यक्रम | १०,००,००० | १०,००,००० | | | |
| ३६३ | खोप कार्यकर्तालाई यातायात खर्च | ४,००,००० | ४,००,००० | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३६४ | औषधी (स्वास्थ्य चौकी सशर्तबाट खरिद अपुग भएका) | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ३६५ | मानसिक स्वास्थ्य तालिम उपचार सहायता क्याम्प तथा औषधी खरिद | ४,००,००० | ४,००,००० | | | |
| ३६६ | सर्पदंश उपचार औषधी खरिद तथा व्यवस्थापन | ५,००,००० | ५,००,००० | | | |
| ३६७ | गर्भवतीका लागि ग्रमिण खर्च अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम (मेशिन खरिद सहित) | ७,००,००० | ७,००,००० | | | |
| ३६८ | स्वास्थ्य चौकीहरुमा सर्जिकल सामाग्री (औजार, बेड) | ३,००,००० | ३,००,००० | | | |
| ३६९ | गर्भवती र सुत्केरी मैत्री वर्थिङ्ग सेन्टर व्यवस्थापन | १,५०,००० | १,५०,००० | | | |
| **संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम (शसर्त अनुदान) - ८०१११४०१५११** | | | | | | |
| ३७० | आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत) | १२,९१,००,००० | | १२,९१,००,००० | | |
| ३७१ | एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पारिश्रमिक, चाडपर्व खर्त तथा पोशाक खर्च | ११,४२,००० | | ११,४२,००० | | |
| ३७२ | गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम पारिश्रमिक (गणक/सुपरीवेक्षक/गुनासो सुनुवाई अधिकारी/अतिरिक्त कार्य प्रोत्साहन भत्ता)) | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ३७३ | तलब तथा सुबिधा- आप्रवासी स्रोत केन्द्र कर्मचारी | ४,०५,००० | | ४,०५,००० | | |
| ३७४ | तलब तथा सुबिधा- मनोसमाजिक परामर्श कर्ता | ४,०५,००० | | ४,०५,००० | | |
| ३७५ | तलब तथा सुबिधा -वित्तिय साक्षरता सहजकर्ता क्रार्यक्रम | ४,०५,००० | | ४,०५,००० | | |
| ३७६ | प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यबस्थापन अनुदान | १,५६,४३,००० | | १,५६,४३,००० | | |
| ३७७ | प्राविधिक सहायकको तलव | ३,६७,००० | | ३,६७,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३७८ | माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी,प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत) | ३,३९,००,००० | | ३,३९,००,००० | | |
| ३७९ | रिटर्नी स्वयंम सेवक परिचालन | ४,४५,००० | | ४,४५,००० | | |
| ३८० | रोजगार संयोजकको तलव | ४,६८,००० | | ४,६८,००० | | |
| ३८१ | स्थानीय तहका स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के. र अस्पतालहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलव, महगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोषाक लगायत प्रशासनिक खर्च समेत | ४,२६,००,००० | | ४,२६,००,००० | | |
| ३८२ | प्राविधिक सहायकको पोसाक | १०,००० | | १०,००० | | |
| ३८३ | रोजगार संयोजकको पोसाक | १०,००० | | १०,००० | | |
| ३८४ | एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायको लागि सञ्चार खर्च | ७,००० | | ७,००० | | |
| ३८५ | इन्धन कार्यालय तथा अन्य प्रयोजनका लागि | १३,००० | | १३,००० | | |
| ३८६ | कार्यालय संचालन तथा मसलन्द खर्च | ४५,००० | | ४५,००० | | |
| ३८७ | मनोसमाजिक परामर्श संचालन खर्च | २,०२,००० | | २,०२,००० | | |
| ३८८ | मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ) | ९०,००० | | ९०,००० | | |
| ३८९ | रोजगार सेवा केन्द्रको सँचालन खर्च | ६४,००० | | ६४,००० | | |
| ३९० | स्वास्थ्य संस्था नभएका वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरुको संचालन खर्च | २५,००,००० | | २५,००,००० | | |
| ३९१ | बायोग्यास जडान | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ३९२ | दर्ता सिविर सञ्चालानार्थ सेवा प्रदायक छनौटको लागि विज्ञापन/सूचना प्रकाशन खर्च | २५,००० | | २५,००० | | |
| ३९३ | विरामीको लागि ओ.पि.डि.टिकट (कार्वन कपी सहितको ) छपाई | १,००,००० | | १,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ३९४ | सञ्चार सामाग्री प्रसारण तथा छपाई (सञ्चार र पँहुच अभियान सञ्चालान) | १,२७,००० | | १,२७,००० | | |
| ३९५ | सुरक्षित बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि सूचना साम्रगी उत्पादन तथा प्रकाशन | १५,००० | | १५,००० | | |
| ३९६ | अभियानकर्ता परिचालन | १०,००० | | १०,००० | | |
| ३९७ | बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा तथा विद्यालय नर्स परिचालन | २९,००० | | २९,००० | | |
| ३९८ | रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढीकरण | १,८९,००० | | १,८९,००० | | |
| ३९९ | व्यक्तिगत घटना दर्ताका दर्ता किताब डिजीटाईजेशनका लागि परामर्श सेवा | ४,३०,००० | | ४,३०,००० | | |
| ४०० | विपन्न श्रमिकको ज्याला (दैनिक रु. 517 * संख्या 100 * दिन 100) | ५१,९२,००० | | ५१,९२,००० | | |
| ४०१ | प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत उद्यमीको स्तरोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम) | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| ४०२ | बैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने सम्भावित कामदारहरुलाई गहन अभिमुखीकरण कार्यक्रम | १३,००० | | १३,००० | | |
| ४०३ | स्थानिय तहमा स्वास्थ्य सम्वन्धि अभिमुखीकरण र योजना तर्जुमा तालिम | ४,००,००० | | ४,००,००० | | |
| ४०४ | स्थानीय तह भित्रका स्वास्थ्यकर्मीहरु,म.स्वा.स्वय.से. का लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा अन्तर्गत आँखा, नाक, कान, घाटी तथा मुख स्वास्थ्य सम्वन्धि प्राथमिक उपचार बारे अभिमुखिकरण / तालिम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४०५ | समुदाय अभिमुखीकरण | ४५,००० | | ४५,००० | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४०६ | (१) आयोजना सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन (२) दर्ता सिविर सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखिकरण/कार्यशाला/तालिम कार्यक्रम सञ्चालन (३) गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन । सहभागीहरु: हरेक वडाका प्रतिनिधी, स्थानीय CSO, स्थानीय निकायका अन्य क | ३,७०,००० | | ३,७०,००० | | |
| ४०७ | १) समाजमा रहेका कुरीति, कुप्रथा, लैङ्गिक हिंसा, मानव वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा अभियान संचालन 2) महिला विकास कार्यक्रमद्धारा प्रर्वदित महिला सहकारी संस्थाहरुको सुदृढीकरण एवं स्थानीय तहको महिला उद्यमी संजाल स्थापनाको लागि सहजीक | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४०८ | Artificial Insemination सम्बन्धी कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४०९ | आप्रवासी स्रोत केन्द्रको कार्यालय संचालन/ कर्मचारी भ्रमण खर्च / शिरोभार खर्च | २,४८,००० | | २,४८,००० | | |
| ४१० | उच्च जोखिममा रहेका समुदायमा विरामी खोजपड्ताल कार्यक्रम | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| ४११ | उपचार केन्द्रहरुमा आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्टेशनरी, ट्याली सीट लगायतका फर्म फरमेट फोटोकपी, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकन,स्थलगत अनुशिक्षण, क्षयरोगका बिरामीको चौमासिक कोहर्ट विश्लेषण र ई-टि.बि रज | १,७७,००० | | १,७७,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४१२ | औलो तथा कालाजार माहामारी हुने क्षेत्रको छनौट गरी बिषादि छर्कने (रेस्पोन्सीभ स्प्रेइङ समेत), किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन तथा किटजन्य रोग नियन्त्रणका लागि बहुनिकाय अन्तरक्रिया गर्ने | ३०,००० | | ३०,००० | | |
| ४१३ | कटारी आयुर्वेद औषधालयको चालु तथा कार्यक्रम बजेट | ३०,८३,००० | | ३०,८३,००० | | |
| ४१४ | कृषक दर्ता व्यवस्थापन कार्यक्रम | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ४१५ | कृषकको मागमा आधारीत कार्यक्रम | २,४०,००० | | २,४०,००० | | |
| ४१६ | कुष्ठरोगको विरामी, परिवार तथा छिमेकीको सम्पर्क परिक्षण तथा LPEP सेवाको निरन्तरता | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४१७ | क्षयरोगका जोखिमयुक्त जनसंख्यामा (दूर्गम वस्ती, पिछडिएको वर्ग बसोवास स्थल, कार्यक्रम स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहूच कम भएका, कारागार, गुम्बा, स्कुल, बृधाश्रम,□द्योगिक क्षेत्र)सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| ४१८ | कृषि तथा पशुपन्छी सम्वन्धि तथ्यांक अध्यावधिक कार्यक्रम | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४१९ | कोभिड १९ लगायत विभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवाला सँगको अन्तरक्रिया तथा RRT, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन | ५०,००० | | ५०,००० | | |
| ४२० | घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता सिविर सञ्चालन | ९,१२,००० | | ९,१२,००० | | |
| ४२१ | घुम्ती तालिम | १,२०,००० | | १,२०,००० | | |
| ४२२ | तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान | १,७८,२३,००० | | १,७८,२३,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४२३ | नयाँ बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ४२४ | निशुल्क नवजात शिशु सोधभर्ना कार्यक्रम | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ४२५ | नीतिगत,प्रशासनिक तथा ब्यबस्थापन खर्च | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४२६ | प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान | ४८,७४,००० | | ४८,७४,००० | | |
| ४२७ | प्रतिष्पर्धामा छनौट भएका व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्फत लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने | १९,६०,००० | | १९,६०,००० | | |
| ४२८ | पशुपंक्षी आदीबाट हुने ईन्फुएन्जा, बर्ड फ्लु, AMR, सिष्टिसर्कोसिस, टक्सोप्लाज्मोसिस आदि विभिन्न सरुवारोग सम्बन्धि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेतना कार्यक्रम | २०,००० | | २०,००० | | |
| ४२९ | पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक सूचना संकलन, भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक एवं बार्षिक समिक्षा | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ४३० | पालिकास्तरमा खोप र सरसफाई प्रवद्र्धन कार्यक्रमको समिक्षा, सूक्ष्मयोजना अध्यावधिक र पालिका खोप समन्वय समितिको अभिमुखिकरण समेत पालिका स्तरमा २ दिन, वडा खोप समन्वय समितिको स्वास्थ्य संस्था, वडा सतरमा अभिमुखिकरण १ दिन तथा पूर्ण खोप सुनिश्चतताको लागी घरधुरी सर | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| ४३१ | पोषण कार्यक्रम | १२,९०,००० | | १२,९०,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४३२ | बंगुरको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन | १०,००,००० | | १०,००,००० | | |
| ४३३ | बैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी स्थानीय तहको प्रोफाईल निर्माण | २,५०,००० | | २,५०,००० | | |
| ४३४ | बाख्राको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| ४३५ | बिद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, आमा समूह तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवर्ध्दन अभियान | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४३६ | मलेरिया, डेंगु, कालाजार, स्क्रब टाइफस आदि किटजन्य रोगको डाटा भेरिफिकेशन | १०,००० | | १०,००० | | |
| ४३७ | महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र (महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक) का तथ्यांक संकलन तथा अद्यावधिक गरि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउनका लागि | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४३८ | माटो जाँच शिविर | ४०,००० | | ४०,००० | | |
| ४३९ | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम | १२,१४,००० | | १२,१४,००० | | |
| ४४० | मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुल्क गर्भपतन कार्यक्रम | २४,८६,००० | | २४,८६,००० | | |
| ४४१ | राष्ट्रपति रनिङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय) | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४४२ | राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च, वार्षिक समिक्षा गोष्ठी र दिवस मनाउने खर्च समेत) | १२,००,००० | | १२,००,००० | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४४३ | राष्ट्रिय र स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण सुरक्षाममा टेवा पुर्याउने वाली वस्तको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन | २४,००,००० | | २४,००,००० | | |
| ४४४ | लिम्पाटार आयुर्वेद औषधालयको चालु तथा कार्यक्रम बजेट | ३०,१७,००० | | ३०,१७,००० | | |
| ४४५ | वित्तिय साक्षरता क्रार्यक्रम संचालन खर्च | १,३६,००० | | १,३६,००० | | |
| ४४६ | विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान | ४२,७३,००० | | ४२,७३,००० | | |
| ४४७ | विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान | १,५६,३६,००० | | १,५६,३६,००० | | |
| ४४८ | विधालयमा कुष्ठरोगबारे जनचेतना तथा परिक्षण कार्यक्रम | ३०,००० | | ३०,००० | | |
| ४४९ | विभिन्न सरुवारोग, नसर्ने रोग, जुनोटिक, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम तथा दिवसहरु (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer Days, आत्महत्या रोकथाम दिवस, मानसिक स्वास्थ्य दिवस, अल्जाईमर दिवस, रेबिज दिवस, विश्व औलो दिवस) मनाउने | ९०,००० | | ९०,००० | | |
| ४५० | विश्व कुष्ठरोग दिवस तथा अपांगता दिवसको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम | २०,००० | | २०,००० | | |
| ४५१ | शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत) | १४,४१,००० | | १४,४१,००० | | |
| ४५२ | स्थानीय तहको लैगिक हिंसा निवारण कोषमा रकम | १,००,००० | | १,००,००० | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४५३ | सुधारिएको चुलो (बायोमास) प्रबिधि जडान | २,००,००० | | २,००,००० | | |
| ४५४ | समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकीकृत व्यवस्थापन (IMNCI) कार्यक्रम समिक्षा तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा onsite coaching | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४५५ | सरोकारवालाहरुसंगको अन्तरक्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम ( प्रहरी /पत्रकार/स्थानीय जनप्रतिनिधी/ समुदायका अगुवाहरुलाई आप्रावसन को असर तथा प्रभाव / कामदारलाई समाजिक बहिस्करण प्रभाव न्यूनिकरण) | ४५,००० | | ४५,००० | | |
| ४५६ | स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यन्वयन, सुद्रिढीकरण तथा समिक्षा (स्वास्थ्य चौकीको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रमको समिक्षा ) | ३,५०,००० | | ३,५०,००० | | |
| ४५७ | सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड ब्यवस्थापन | ४४,५१,००० | | ४४,५१,००० | | |
| ४५८ | अन्य विविध खर्च-Mobilization of CSOs, Civic Groups, NGOs for increased social accountability | ३१,००० | | ३१,००० | | |
| ४५९ | अन्य विविध खर्च-Periodic meeting costs of LGPCC | २२,००० | | २२,००० | | |
| ४६० | अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च(अनुगमन, मुल्याङ्कन र भ्रमण ) | ३०,००० | | ३०,००० | | |
| ४६१ | आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको सुनिश्चततका लागि औषधीको आपूर्ति र उपयोग, सम्वन्धि कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्याङकन (अनुगमन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भ्रमण खर्च) | ७५,००० | | ७५,००० | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४६२ | एम. आई. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक देनिक भ्रमण भत्ता तथा यातायत खर्च | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| ४६३ | स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको लागि अनुगमन तथा मुल्याकन खर्च | १,१२,००० | | १,१२,००० | | |
| ४६४ | सम्बन्धित सरोकारवालाहरुवाट परियोजना अनुगमन तथा मुल्याकंन | ३६,००० | | ३६,००० | | |
| ४६५ | कार्यालय सम्बन्धि बिबिध खर्चहरु | १२,००० | | १२,००० | | |
| ४६६ | सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान | ६२,९०,००० | | ६२,९०,००० | | |
| ४६७ | स्थानीय निकाय अन्तर्गतको प्राथमिक अस्पतालहरुको न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संचालन तथा सुद्रिधिकरण अनुदान | २४,७५,००० | | २४,७५,००० | | |
| ४६८ | सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रबृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय) | २५,०९,००० | | २५,०९,००० | | |
| ४६९ | आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधि र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री (PPE बाहेक) खरिद तथा औषधि लगायतका सामग्रीको ढुवानी तथा रिप्याकिंग र वितरण समेत | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| ४७० | आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका पुनःउपचारमा रहेका पी.बि.सी. बिरामीहरुलाई उपचार अवधिभर पोषण खर्च तथा सम्पर्क परीक्षण | ३९,००० | | ३९,००० | | |
| ४७१ | आप्रवासी स्रोत केन्द्रको लागि मेशनरी तथा औजार | ४०,००० | | ४०,००० | | |
| ४७२ | मेशिनरी आजार तथा फर्निचर मर्मत सम्भार (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ) | ४२,००० | | ४२,००० | | |

कटारी नगरपालिका

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४७३ | व्यक्तीगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालानार्थ वडा कार्यालयहरुको लागि डेक्सटप कम्पयुटर, प्रिन्टर, स्क्यानर तथा 4G Wireless Dongol खरिद | ८,४०,००० | | ८,४०,००० | | |
| ४७४ | सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रबिधि हस्तान्तरण | १,४०,००० | | १,४०,००० | | |
| ४७५ | प्रयोगशालामा क्षयरोग संक्रमण नियन्त्रण (भेन्टिलेसन,एक्जहस्ट फ्यान, फर्निचर,अटोक्लेभ, मर्मत-सम्भार तथा परिवर्तन) सम्बन्धी क्रियाकलाप | ५,००० | | ५,००० | | |
| ४७६ | बाह्य खोप केन्द्र बाट गुणस्तरिय खोप सेवा प्रदान गर्न खोप केन्द्रमा ब्यवस्थापनको लागि फर्निचर ब्यवस्था, सम्बन्धित वडा खोप समन्वय समिति मार्फत तयारी एवं खरिद, ३००० खोप केन्द्रमा प्रति खोप केन्द्र रु १०००० दरले, कम्तिमा टेवल १, कुर्सी १ र सानो बेञ्च १ र हात | ६०,००० | | ६०,००० | | |
| ४७७ | सौर्य उर्जा प्रबिधि जडान | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ४७८ | किरात राई माङ्गहिम साकेला थान,कटारी न.पा ३ उदयपुर | ५,३०,००० | | ५,३०,००० | | |
| ४७९ | महाभारत एकीकृत पर्यटन पार्क बेतिनी कटारी नपा-११ उदयपुर | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| ४८० | विद्यालय भौतिक पुर्वाधार निर्माण अनुदान | २,५०,६०,००० | | २,५०,६०,००० | | |
| ४८१ | साकेला एलम्बरहाङ खिम पर्यटकीय पूर्वाधार वेलका नपा ४ उदयपुर | १५,००,००० | | १५,००,००० | | |
| ४८२ | साँङ्गे छोलिङ्ग गुम्वा पर्यटन पूर्वाधार कटारी न.पा ३ उदयपुर | ५,७०,००० | | ५,७०,००० | | |
| **कटारी नगरपालिका - महिला विकास कार्यक्रम -८०१११४०१३०४** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ४८३ | एकल महिलाहरुलाई धागो बत्ति काट्ने तथा बाटेको धूप ४ दिने तालिम | २,२०,००० | | २,२०,००० | | |
| ४८४ | ७५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धाहरुलाई सम्मान कार्यक्रम वडा स्तरिय | ५,२५,००० | | ५,२५,००० | | |
| ४८५ | नगर स्तरिय अपाङ्गता संजाल गठन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४८६ | नगर स्तरिय जेष्ठ नागरिक संजाल गठन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४८७ | नगर स्तरीय एक महिला समिति गठन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४८८ | नगर स्तरीय बालक्लब संजाल चौमासिक बैठक | १,५०,००० | | १,५०,००० | | |
| ४८९ | नेतृत्व तथ संस्थागत तालिम ३ दिने | २,१०,००० | | २,१०,००० | | |
| ४९० | नयाँ समूहका सदस्यहरुलाई ३ दिने अनुशिक्षण | १,४०,००० | | १,४०,००० | | |
| ४९१ | महिला समूह गठन तथा परिचालन | १,००,००० | | १,००,००० | | |
| ४९२ | महिला समिति र संस्थाका सदस्यहरु विच चौमासिक अन्तरकृया | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ४९३ | सडक बालवालिका तथा बाल मजदुरहरुको तथ्याङ्क संकलन | ६०,००० | | ६०,००० | | |
| ४९४ | सहायक सामाग्री वितरण (बैशाखी, व्हील चियर, कृतिम हात तथा खुट्टा | ३,००,००० | | ३,००,००० | | |
| ४९५ | महिला समूह, समिति र संस्था अनुगमन निरीक्षण | १,२०,००० | | १,२०,००० | | |
| ४९६ | अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण र सिफारिस समितिको बैठक द्बोमासिक | ७५,००० | | ७५,००० | | |
| **कुल जम्मा** | | **७१,१९,४९,१९०** | **२३,९१,७३,१९०** | **४६,५०,००,०००** | **७७,७६,०००** | |

**आज्ञाले**
गणेश प्रसाद अर्याल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कटारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

# "वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७"

**प्रमाणिकरण मिति : २०७७/०३/२०**

**प्रस्तावना** : स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग एवं दीगो व्यवस्थापन गर्न, वातावरण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न वाञ्छनीय भएकाले,

नेपालको संविधानको धारा २२१ बमोजिम अनुसूची ८ र अनुसूची ९ मा उल्लेखित वातावरण, प्राकृतिक स्रोत र जैविक विविधता सम्बन्धी स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न, कटारी नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।

## परिच्छेद- १
## प्रारम्भिक

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ** : (१) यस ऐनको नाम कटारी नगरपालिकाको "वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७" रहेको छ ।

(२) यो ऐन कटारी नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. **परिभाषा** : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-

(क) "अनुकुलन" भन्नाले जलवायू परिवर्तनको असर र सम्भाव्य जोखिमको आँकलन गरी परिवर्तित जलवायू सुहाउँदो अनुकुल हुने गरी रुपान्तरण गर्ने तथा थप हानी नोक्सानी रोकथाम वा न्यूनिकरण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ख) "उत्सर्जन" भन्नाले कुनै निश्चित क्षेत्रबाट निश्चित समय अवधिमा वातावरणमा हरितगृह ग्याँस वा अन्य कुनै ग्याँस वा धुवाँ निष्कासन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ।

(ग) "कार्यपालिका" भन्नाले कटारी नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्छ।

(घ) "खुल्ला क्षेत्र" भन्नाले मानिसहरु जमघट हुन सक्ने, विभिन्न कार्यक्रम र पर्व मनाउन सक्ने, सार्वजनिक हित तथा विपद् व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पुग्ने गरी सुरक्षित गरिएको खुल्ला स्थल सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "जलवायू परिवर्तन" भन्नाले लामो समयको अन्तरालमा प्राकृतिक रुपमा हुने जलवायूको उतारचढावका अलावा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा मानवीय क्रियाकलापले वायुमण्डलको बनोटमा हुने फेरवदलका कारण पृथ्वीको जलवायूमा क्रमशः देखा पर्ने परिवर्तन सम्झनु पर्छ।

(च) "जोखिमपूर्ण फोहर" भन्नाले प्राकृतिक वातावरणमा ह्रास ल्याउने र मानव तथा अन्य प्राणीको स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने विभिन्न रुपमा निष्काशित वस्तु, पदार्थ तथा रेडियो विकिरणलाई सम्झनु पर्छ।

(छ) "जैविक विविधता" भन्नाले पारिस्थितिकीय प्रणाली (इको सिस्टम) को विविधता, प्रजातिय विविधता (स्पेसिज डाइभरसिटी) तथा वंशाणुगत विविधता (जेनेटिक डाइभरसिटी) सम्झनु पर्छ ।

(ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

(झ) "निष्काशन" भन्नाले ध्वनि, ताप वा फोहरमैला फाल्ने, थुपार्ने, वा निष्काशन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

(ञ) "परिषद" भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद सम्झनु पर्छ।

(ट) "प्रदूषण" भन्नाले फोहरमैला, रसायन, ध्वनि वा विद्युतीय, विद्युतीय-चुम्वकीय तरंगका कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुऱ्याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुऱ्याउने क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ ।

(ठ) "प्रस्ताव" भन्नाले विद्यमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको स्थानीय सरकार वा स्थानीय कानून बमोजिम संञ्चालन गरिने वा अनुमति प्राप्त विकास कार्य, भौतिक क्रियाकलाप वा भू-उपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ ।

(ड) "प्रस्तावक" भन्नाले प्रस्तावको स्वीकृतिको लागि निवेदन दिने र त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्राप्त व्यक्ति, सरकारी, अर्ध सरकारी वा गैर सरकारी निकाय वा संस्था सम्झनु पर्छ।

(ढ) "फोहरमैला" भन्नाले घरेलु फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला सम्झनु पर्छ र सो शब्दले तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अबस्थामा रहेको, फालिएको वा सडेगलेको वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्काशन गरिएको तरल, ठोस, ग्यास, लेदो, धूवाँ, धूलो, विद्युतीय तथा सूचना प्रविधिका लागि प्रयोग भएका लगायतका पदार्थ वा त्यस्तै प्रकारका अन्य वस्तुहरु वा अनाधिकृत रुपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएको पोष्टर, पम्प्लेट तथा कार्यपालिकाले समय समयमा सूचना प्रकाशन गरी फोहरमैला भनि तोकिदिएका अन्य वस्तु समेतलाई सम्झनु पर्छ ।

(ण) "वन" भन्नाले पूर्ण वा आंशिक रुपमा रुख वा बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ ।

(त) "वन पैदावार" भन्नाले वनमा रहेका वा पाइएका वा वनबाट ल्याइएका देहायका पैदावार सम्झनु पर्छः-

(१) काठ, दाउरा, गोल, खैरकच, खोटो, काठको तेल, बोक्रा, घाँस, लाहा, पिपला-पिपली

(२) रुख, विरुवा, पात, डाँठ, फल, बीज, फूल, भुवा, जरा, गानो, बोक्रा, गमरजीन, लोहवान, जङ्गली जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार, जङ्गली मह, वनस्पति तथा तिनको विभिन्न भाग वा सूक्ष्म अङ्ग,

(३) चट्टान, माटो, चुन ढुङ्गा, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा वा अन्य खनिजजन्य पदार्थ वा

(४) वन्यजन्तु, पशुपंक्षी वा वन्यजन्तुको ओखेटोपहार ।

(थ) "वातावरण" भन्नाले प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक प्रणालीहरु, आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरु र यीनको अवयवहरु तथा ती अवयवहरुको बिचको अन्तरक्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पर्छ ।

(द) "वातावरणीय अध्ययन" भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा त्यसवाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव निराकरण वा न्यूनिकरण गर्नको लागि अवलम्वन गरिने उपायका सम्बन्धमा गरिने संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्झनु पर्छ ।

(ध) "सम्पदा" भन्नाले गाँउपालिका/नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सौन्दर्यपरक वा सामाजिक दृष्टिबाट महत्वपूर्ण मानिने कुनै पनि वस्तु, भौतिक संरचना स्थान, वनस्पति तथा जीव जन्तु सम्झनु पर्छ।

(न) "सिमसार" भन्नाले भूमिगत जलस्रोत वा वर्षातका कारण पानीको परिणाम रहने वा प्राकृतिक वा मानव निर्मित, स्थायी वा अस्थायी जमेका वा वगेका, स्वच्छ वा नुनिलो पानी भएको धापिलो जमिन (Swamp) दलदले जमिन (Marsh) नदीबाट प्रभावित जमिन (Riverine Floodplain), ताल (Lake) पोखरी (Pond) जलभण्डार क्षेत्र (Water Storage Areas) र यहि प्रकृतिका कृषि जमिन (Agriculture Land) समेतलाई सम्झनु पर्छ ।

(प) "संरक्षण" भन्नाले वातावरण, जैविक विविधता तथा सम्पदाको सुरक्षा, स्याहार, सम्भार, सम्वर्द्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग सम्झनु पर्छ ।

## परिच्छेद - २

## वातावरण संरक्षण

३. **वातावरण संरक्षण गर्नुपर्ने** : (१) आफ्नो क्षेत्राधिकार क्षेत्र भित्र वातावरण संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुनेछ ।

(२) वातावरण संरक्षण, प्रवर्द्धन र वातावरणमैत्री समाज निर्माणमा योगदान गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।

४. **वातावरण संरक्षण विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्ने** : (१) प्रचलित भू-उपयोग नीति समेतलाई मध्यनजर गरी नगरपालिकाभित्र वातावरणका दृष्टिले संरक्षण आवश्यक रहेको क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्तो क्षेत्रलाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी वातावरण संरक्षण विशेष क्षेत्र निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(२) कुनै सडक, भवन, नदी व्यवस्थापन वा अन्य कुनै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा निर्माण कार्यको प्रारम्भिक अध्ययन प्रक्रिया शुरु हुनु अगाडि नै संघ र प्रदेशका सम्बन्धित

निकायसँग समन्वय गरी कार्यपालिकाले कुनै क्षेत्र विशेषलाई वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्यले खुल्ला वा हरियाली क्षेत्रको रुपमा तोक्न सक्नेछ।

(३) कुनै क्षेत्र वा स्थान विशेषमा अत्यधिक वातावरणीय प्रदूषण, भूःस्खलन, प्राकृतिक सम्पदाको अत्यधिक दोहन वा प्राकृतिक विपत्ति हुन गई जनस्वास्थ्य वा वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको वा पर्ने सम्भावना देखिएको अवस्थामा कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी त्यस्तो क्षेत्र वा स्थानलाई वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्र तोक्न सक्नेछ ।

(४) उपफदा (१),(२) र (३) बमोजिमको वातावरण संरक्षण विशेष क्षेत्र, खुल्ला वा हरियाली क्षेत्र र संवेदनशील क्षेत्रको व्यवस्थापन तोकिए बमोजिम कार्यपालिकाबाट हुनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम व्यवस्थापन गर्दा कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार संघ र प्रदेशसँग समन्वय गर्नेछ।

५. **सम्पदाको संरक्षण गर्नुपर्ने** : (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पदाको संरक्षण गर्नु नगरपालिका, नागरिक र सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ।

(२) सम्पदाको संरक्षणका लागि कार्यपालिकाले सरकारी तथा समुदायसँग समन्वय तथा साझेदारी गर्न सक्नेछ।

६. **वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने** : (१) प्रचलित कानून तथा मापदण्ड बमोजिम प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन गर्नु पर्नेछ ।

(२) प्रस्तावकले स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयसँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

(३) प्रस्तावकले उपदफा (२) बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र त्यसको न्यूनिकरणको लागि अपनाउन सकिने विभिन्न विकल्पहरूको विस्तृत विष्लेषण गरी त्यस्ता विकल्प मध्ये प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने विकल्प र सो विकल्प कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार र कारण सहित सिफारिस गर्नुपर्नेछ।

(४) उपदफा (२) बमोजिमको संक्षिप्त वातावरणीय प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार प्रस्तावकले पालना गर्नुपर्ने शर्त तोकि त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नेछ।

(६) कार्यपालिकाले उपदफा (२) बमोजिमको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावको थप वातावरणीय अध्ययन गर्नपर्ने देखिएमा वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ।

(७) उपदफा (५) बमोजिम दिइएको आदेश बमोजिम प्रस्तावकले थप अध्ययन गरि सोको प्रतिवेदन प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।

(८) यस ऐन वमोजिम कुनै प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व सम्वन्धित निकायबाट कार्यसूची स्वीकृत गर्नुपर्नेछ।

(९) वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

(१०) यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रस्तावक नगरपालिका आँफै संलग्न भएको अबस्थामा त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश कानून बमोजिम स्वीकृत हुनेछ।

७. **मापदण्ड र गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने** : (१) प्रस्तावकले यस ऐन बमोजिम वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड एवं गुणस्तर कायम हुनेगरी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ।

८. **वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्ने** : (१) प्रस्तावकले प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु अगाडि तोकिए बमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्नेछ।

(२) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोजिम वातावरणीय व्यवस्थापन योजना तयार गर्दा वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव न्यूनिकरणका उपायहरू मध्ये कुन कुन उपायहरू आयोजना निर्माणको क्रममा र कुन कुन उपायहरू आयोजना सम्पन्न भएपछि वा आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा अवलम्बन गर्ने हो सो को समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

(३) प्रस्तावकले उपदफा (१) बमोजिम तयार गरेको वातावरणीय व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना वनाई सो बमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र सो को प्रगति विवरण आयोजना कार्यान्वयन शुरू भएपछि प्रत्येक छ महिनामा कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।

९. **प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्न नहुने** : यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि कार्यपालिकाले तोके बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत नगराई कार्यान्वयन गर्न गराउनु हुँदैन ।

१०. **प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था** : (१) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुने प्रस्तावहरु सम्बन्धी कार्यविधि प्रचलित संघीय तथा प्रादेशिक कानून बमोजिम हुनेछ ।

(२)संघीय तथा प्रादेशिक कानून बमोजिम वातावरणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धमा सम्बन्धित संघीय तथा प्रादेशिक निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको [वातावरण शाखा] को हुनेछ ।

११. **रोक लगाउन सक्ने** : (१) कसैले पनि यस ऐन र प्रचलित कानूनले तोके वमोजिमको निकायवाट स्वीकृति नलिई वा स्वीकृति भए भन्दा विपरीत हुने गरी कार्यान्वयन गरेमा कार्यपालिकाले त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा रोक लगाउन वा रोक लगाउनको लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय मन्त्रालय वा स्वीकृत गर्ने निकायमा सिफारिष गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएकोमा त्यसरी रोक लगाइएको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा प्रस्तावकले सो बापत कुनै किसिमको क्षतिपुर्तिको लागि दाबी गर्न पाउने छैन ।

१२. **अनुकूलन योजना बनाउन सक्ने** : (१) जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यूनिकरण र सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि कार्यपालिकाले अनुकूलन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अनुकुलन योजना बनाउँदा जलवायू परिवर्तनको असरवाट वढी जोखिममा पर्ने महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

(३) कार्यपालिकाले विकास आयोजना तर्जुमा गर्दा जलवायू परिवर्तनको प्रतिकूल असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ।

१३. **हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनिकरण कार्यहरू गर्न सक्ने** : (१) नगरपालिकाले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ।

(२) न्यूनिकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

१४. **प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने** : (१) कसैले पनि प्रचलित मापदण्ड विपरीत वा जनजीवन, जन-स्वास्थ र वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी प्रदूषण सृजना गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, होटल रेष्टुरेण्ट वा अन्य ठाउँ वा मालसामान वा वस्तुवाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण, तरङ्ग वा फोहरमैला वा दुषित पानी निष्काशन गर्न गराउन हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै कार्य गरी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पारेको देखिएमा नगरपालिकाले तत् सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न वा त्यस्तो कार्य गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ ।

(४) कुनै किसिमको पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोगबाट वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव परेको वा पर्ने देखिएमा प्रदेश र संघीय सरकारलाई सो को जानकारी गराई नगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो पदार्थ, इन्धन, औजार वा संयन्त्रको प्रयोग, उत्पादन, विक्रि वितरण, भण्डारनमा बन्देज लगाउन सक्नेछ र आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिष गर्नेछ।

(५) प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

१५. **प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने** : (१) वातावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुऱ्याउन नगरपालिकाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रयोगशालाहरु स्थापना गर्न वा संघ र प्रदेशले स्थापना गरेका वा नेपाल सरकारले मान्यता दिएको कुनै प्रयोगशालालाई सो कामको लागि तोक्न सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना गरिएका वा तोकिएका प्रयोगशालाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

१६. **नमुना संकलन गर्न दिनुपर्ने** : कुनै पनि उद्योग, कारखाना, यन्त्र, सवारी साधन आदिबाट सृजना वा निष्काशन हुने वा हुन सक्ने प्रदूषण, ध्वनि, ताप तथा फोहरमैलाको अध्ययन, परीक्षण वा विश्लेषण गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले नगरपालिकाबाट अधिकारप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वस्तु वा पदार्थको नमूना संकलन गर्न दिनु पर्नेछ ।

१७. **वातावरण निरीक्षकको नियुक्ति गर्न सक्ने** : नगरपालिका भित्र प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने तथा स्वीकृत वातावरणीय प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कामहरू प्रभावकारी रुपले गर्न गराउन, वातावरण संरक्षण सम्वन्धि प्रचलित मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न कार्यपालिकाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट वातावरण वा सोसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातक हासिल गरेको व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम निर्धारित मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गरी वातावरण निरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

१८. **वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकारः** (१) वातावरण निरीक्षकको काम, कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः—

(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून तथा मापदण्ड बमोजिम प्रदूषण कम गर्ने, हटाउने वा नियन्त्रण गर्ने कार्य भए नभएको निरीक्षण गर्ने,

(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा प्रचलित कानून र मापदण्ड विपरीत कुनै ठाउँबाट प्रदूषण निष्काशन सम्बन्धी नकरात्मक कार्य गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने,

(ग) स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा तोकिएका सर्त बमोजिम काम भए नभएको सम्बन्धमा स्थलगत जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने,

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम गरिएको जाँचबुझ तथा निरीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको अधिकारी समक्ष पेश गर्ने,

(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने,

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा वातावरण निरीक्षकले सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकलाई पूर्व सूचना दिई कुनै घर, जग्गा, भवन, कारखाना, उद्योग, सवारी साधन, औद्योगिक संयन्त्र, औजार, मेशिनरी, जीव, वस्तु, अभिलेख, कागजात वा अन्य मालसामान वा वस्तुहरुको निरीक्षण, परीक्षण वा जाँचबुझ गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निरीक्षणको सिलसिलामा वातावरण निरीक्षकले माग गरेको विवरण वा जानकारी उपलव्ध गराई आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) वातावरण निरीक्षकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ।

## परिच्छेद-३

## फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

१९. **फोहरमैलाको प्रबन्ध गर्ने दायित्व :** (१) फोहरमैलाको व्यवस्थापन गर्न स्थानान्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेशन), ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन प्लाण्ट, बायो ग्यास प्लाण्ट लगायत फोहरमैलाको संकलन, अन्तिम बिसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुनेछ ।

(२) फोहरमैला संकलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा फालिएको वा राखिएको फोहरमैला वा सरसफाईको सिलसिलामा जम्मा भएको फोहरमैला प्रबन्ध गर्ने वा कुनै पनि किसिमबाट प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुनेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि फोहरमैला संकलन केन्द्र, स्थानान्तरण केन्द्र वा प्रशोधन स्थलमा फालिएको वा राखिएको फोहरमैला वा सरसफाईको सिलसिलामा जम्मा भएको कुनै पनि पदार्थ फोहरमैला मानिनेछ ।

२०. **फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्वः** (१) नगरपालिकाभित्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने गराउने दायित्व कार्यपालिकाको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हानिकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला, रासायनिक फोहरमैला वा औद्योगिक फोहरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायको हुनेछ ।

(३) कुनै उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाले हानिकारक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला रासायनिक फोहरमैला तथा औद्योगिक फोहरमैला प्रशोधन गरी बाँकी रहेको फोहरमैला तथा अन्य फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरीदिन कार्यपालिकालाई अनुरोध गरेमा वा कार्यपालिकाले निर्धारण गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गर्न माग गरेमा कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम सेवा शुल्क लिई फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरिदिन वा फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रयोग गर्न दिन सक्नेछ ।

(४) कार्यपालिकाले सामुदायिक सरसफाई सम्बन्धी निर्देशिका बनाई लागू गर्नेछ।

(५) फोहरमैला व्यवस्थापनले मानव स्वास्थ्यमा पारेको वा पार्ने प्रभावको जाँच परिक्षण र अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्बन्धित जनस्वास्थ्य अधिकारीसँग हुनेछ ।

(६) जाँच परिक्षणमा कुनै निकायमा फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकी मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको भेटिएमा कार्यपालिकाले उक्त निकायलाई समयमै सचेत गराई प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नेछ।

२१. **फोहरमैला उत्पादन कम गर्ने** : (१) नगरपालिका भित्र कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै काम कारोबार गर्न उत्पादन हुने फोहरमैला यथाशक्य कम गर्नु पर्नेछ।

(२) "आफ्नो क्षेत्र" भित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहरमैलाको विसर्जन वा पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाई बाँकी फोहरमैला मात्र निष्काशन गरी फोहरमैलाको परिणामलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

**स्पष्टिकरणः** "आफ्नो क्षेत्र" भन्नाले नगरपालिका भित्रको निजी घर कम्पाउण्ड, औद्योगिक क्षेत्रको परिसर, अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको परिसर, औद्योगिक प्रतिष्ठानको परिसर लगायत फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको परिसरलाई सम्झनु पर्छ।

२२. **फोहरमैला पृथकीकरण** : (१) कार्यपालिकाले फोहरमैलालाई तोकिए बमोजिम जैविक, अजैविक र अन्य प्रकारमा विभाजन गरी सो फोहरमैलालाई स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिदिए बमोजिम फोहरमैला स्रोतमै छुट्याई संकलन केन्द्रसम्म पुऱ्याउने दायित्व त्यस्तो फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायको हुनेछ र यसको लागि कार्यपालिकाले आवश्यक प्रविधि, मालसामान, उपकरण, कण्टेनर आदि उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

२३. **फोहरमैलाको निष्काशन** : (१) फोहरमैला निष्काशनको समय, स्थान र तरिका कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

(२) हानिकारक फोहरमैला वा रासायनिक फोहरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले त्यस्तो फोहरमैला तोकिए बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(३) हानिकारक फोहरमैला वा रासायनिक फोहरमैला संकलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्रमा निष्काशन गर्न पाइने छैन ।

२४. **फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र** : (१) कार्यपालिकाले फोहरमैलालाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गर्न प्रत्यक टोल वा वस्तीमा संकलन केन्द्र तोकी आवश्यक कण्टेनरको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संकलन केन्द्र तोक्दा यथाशक्य टोल वा वस्तीका सबैलाई पायक पर्ने गरी वातावरणीय रुपले उपयुक्त स्थान तोक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको संकलन केन्द्रमा फोहरमैला निष्काशन र संकलन गर्ने समय र तरिका कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२५. **जोखिमपूर्ण फोहरको व्यवस्थापन** : (१) कुनै जोखिमपूर्ण फोहरको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, विक्री वितरण, विसर्जन वा ओसार पसार गर्दा उत्पादक वा सञ्चालकले जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जोखिमपूर्ण फोहरको व्यवस्थापन गर्दा उत्पादक वा संञ्चालकले आफ्नै खर्चमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

(३) जोखिमपूर्ण फोहर व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए वमोजिम हुनेछ।

२६. **फोहरमैलाको न्यूनिकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रीय प्रयोग** : (१) कार्यपालिकाले फोहरमैला न्यूनिकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कार्य गर्नेछ र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

(२) उद्योग उत्पादन प्याकिङ्ग गर्न प्रयोग गरेको वस्तुलाई पुनः प्रयोग गरी फोहरमैलाको परिणामलाई घटाउने काममा प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धित उद्योगसँग कार्यपालिकाले समन्वय गर्न सक्नेछ ।

२७. **अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) यस ऐन बमोजिम कार्यपालिकाको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्न वा गराउन सक्नेछैन ।

(२) फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न चाहिने स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी, संस्था वा निकायले देहायको विवरण खुलाई अनुमतिको लागि कार्यपालिकामा निवेदन दिनु पर्नेछः-

(क) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना,

(ख) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक जनशक्ति तथा प्रविधिको विवरण,

(ग) तोकिए बमोजिमको अन्य विवरण ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर कार्यपालिकाले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

(४) फोहरमैलाको व्यवस्थापन, पुनः चक्रिय प्रयोग, प्रशोधन र विसर्जनमा आवश्यक पर्ने प्रविधि स्वदेशमा उपलब्ध हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो प्रविधि उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै विदेशी कम्पनी, संस्था वा निकायलाई सम्झौतामा उल्लेखित अवधिभित्र त्यस्तो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कार्यपालिकाले उपदफा (३) बमोजिम अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।

(५) अनुमतिपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

२८. **फोहरमैला व्यवस्थापनमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको संलग्नता** : (१) कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार यस ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त निजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामुदायिक क्षेत्रबाट तोकिए बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई आफ्नो क्षेत्रको फोहरमैला व्यवस्थापन गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (२) बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन गर्दा निजी क्षेत्रका कम्पनीको हकमा देहायका सबै वा कुनै र सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थाको हकमा देहायको कुनै काम गराउन सकिनेछः-

(क) फोहरमैलाको न्यूनिकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धि,

(ख) फोहरमैला संकलन,

(ग) फोहरमैला ढुवानी,

(घ) फोहरमैलाको प्रयोग, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रिय प्रयोग वा प्रशोधन,

(ङ) फोहरमैला विसर्जन,

(च) बन्द पश्चात् व्यवस्थापन ।

२९. **प्रतिस्पर्धा गराई फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा दिने** : (१) कार्यपालिकाले यस ऐन बमोजिम निजी क्षेत्र वा सामुदायिक संस्थाबाट फोहरमैला व्यवस्थापन गराउँदा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराई व्यवस्थापकको छनौट गरी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापकको छनौट गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछः-

(क) कार्यपालिकालाई बुझाउन कबुल गरेको रकम,

(ख) फोहरमैलाबाट ऊर्जा शक्ति उत्पादन गर्ने वा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने क्षमता, पूँजी, प्रविधि र जनशक्तिको क्षमता,

(ग) आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमता,

(घ) फोहरमैला व्यवस्थापन अपनाउन प्रस्ताव गरीएको प्रविधिको दिगोपन तथा वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरण,

(ङ) व्यवस्थापन करार गर्न प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थापन शुल्क,

(च) फोहरमैलाको प्रयोग, प्रशोधन वा पुनः प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा भए कार्यपालिकालाई बुझाउन मञ्जुर गरिएको रोयल्टी ।

(३) बोलपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा निकायले कार्यपालिकासँग गरेको सम्झौताको अधीनमा रही शुल्क उठाउन सक्नेछ ।

(५) फोहरमैला व्यवस्थापनमा गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता सम्बन्धी अन्य कुराहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

३०. **फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिन सकिने** : (१) निजी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि फोहरमैला व्यवस्थापन स्थल, प्रशोधन स्थल वा अन्य संयन्त्र निर्माण गरी सञ्चालन गर्न स्वीकृति माग गरेमा वातावरण तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही त्यस्तो संयन्त्र निर्माण तथा सञ्चालनका लागि कार्यपालिकाले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निजी क्षेत्रबाट फोहरमैला व्यवस्थापन संयन्त्रको निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा तोकिएको वातावरणीय मापदण्डको पालना भए वा नभएको अनुगमन कार्यपालिकाले गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा स्वीकृत मापदण्डको पालना गरेको नपाइएमा त्यस्तो मापदण्ड पालनाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न समयावधि तोकिदिन सक्नेछ र सो समयावधिमा पनि मापदण्डको पालनाको लागि आवश्यक व्यवस्था नगरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा कम्पनीको स्वीकृति कार्यपालिकाले तोकिए बमोजिम रद्द गर्न सक्नेछ ।

३१. **सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने** : (१) कार्यपालिकाले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्य गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सामुदायिक एवं गैरसरकारी संघ, संस्थासँगको साझेदारीमा फोहरमैला न्यूनिकरणको लागि जनचेतना अभिवृद्धि, फोहरमैला संकलन, ढुवानी, फोहरमैला व्यवस्थापन स्थलको बन्द पश्चात् व्यवस्था, उद्यान निर्माण र सौन्दर्यकरण जस्ता कार्य मात्र गर्न वा गराउन सकिनेछ ।

३२. **सेवा शुल्क उठाउन सक्ने** : (१) कार्यपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्कको निर्धारण फोहरमैलाको परिमाण, तौल तथा प्रकृति र तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरुको आधारमा कार्यपालिकाले गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क कार्यपालिका आफैंले वा निजले तोकेको संस्था वा निकाय मार्फत् समेत उठाउन सक्नेछ ।

(४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २६ बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति, संस्था वा निकायले कार्यपालिकासँग भएको सहमतिको आधारमा फोहरमैला व्यवस्थापन गरे बापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ ।

तर तोकिए बमोजिमका विपन्न वर्गलाई सेवा शुल्कमा तोकिए बमोजिम छूट दिइनेछ।

(५) यस दफा बमोजिम शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा प्राप्त हुने आम्दानी कार्यपालिकाले एउटा छुट्टै शीर्षकमा राखी तोकिएको मापदण्डको अधीनमा रही फोहरमैलाको व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नु पर्नेछ ।

## परिच्छेद-४
## जैविक विविधता संरक्षण

३३. **जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने** : (१) आफ्नो क्षेत्रभित्रको जैविक विवधताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जैविक विविधताको संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दा संघीय तथा प्रदेशको कानून तथा मापदण्ड प्रतिकूल नहुने गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ,-

(क) कृषिजन्य जैविक विविधता संरक्षण,-

(१) विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा कृषि जैविक विविधिताको संरक्षणलाई विशेष महत्व दिने,

(२) जैविक विविधता, वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम भएका जि.एम.ओ.(GMO)तथा त्यसका उत्पादनलाई आवश्यकता अनुसार नियन्त्रण वा निषेध गर्ने,

(३) कृषि पर्यावरणीय सेवाहरुको दिगो परिचालनको लागि पराग सेचक तथा अन्य पर्यावरणीय सेवा प्रदान गर्ने जीवहरु सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन गरी संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,

(४) परम्परागत, ज्ञान सीप तथा अभ्यासको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने।

(ख) सिमसार संरक्षण,-

(१) स्थानीय जनसमुदायको सहभागितामा उनीहरुको हितका लागि आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गतका सिमसारको पहिचान गर्दै सो को संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने;

(२) स्थानीय जनसहभागितामा आधारित सिमसार व्यवस्थापनको माध्यमद्वारा सिमसारको स्रोतहरुमाथि समन्यायिक अवसर दिलाउँदै बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोगको अवधारणालाई सार्थक तुल्याउने;

(३) स्थानीय व्यक्ति, समुदाय एवं निकायलाई संलग्न गराउँदै सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्य प्रभावकारी बनाउने;

(४) वर्तमान र भावी पुस्ताको फाइदाका लागि प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्न स्थानीय वासिन्दाको हित हुने खालको सामाजिक र आर्थिक विकासका कार्यक्रम संचालन गर्ने,

(५) सिमसारमा आश्रित सङ्कटापन्न जीवजन्तु, जलचर, सापेक्षिक जङ्गली जनावर तथा अन्य जल आश्रित आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण गर्ने,

(६) वातावरणीय असर न्यून हुने गरी सिमसार क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल पर्यटनको विकास गर्दै प्राप्त लाभलाई यथासम्भव सिमसारको व्यवस्थापन र स्थानीय जनसमुदायको हितमा परिचालन गर्ने,

(७) सिमसार संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि तयार गरिने कार्ययोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभागिता सुनिश्चित गर्ने,

(८) सिमसार क्षेत्रमा आश्रित स्थानीयवासीको अनुभव, अभ्यास, सीप र ज्ञानको संरक्षण गर्दै सोही आधारमा सिमसारको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न प्रश्रय दिने,

(९) सिमसार व्यवस्थापना देखा पर्ने समस्याहरुको पहिचान गरी स्थानीय स्तरमै समाधानको उपायहरुको खोजी गर्न जनसहमतिका आधारमा व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने गराउने,

(१०) सिमसार व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गर्ने र व्यवस्थापन समितिमा स्थानीय जनसमुदायका साथै संघ संस्थाको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक कानुनी एवं प्रशासनिक व्यवस्था गर्ने,

(११) सिमसारमा आश्रित स्थानीय जनसमुदायलाई सिमसारबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित बाँडफाँडका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

(३) जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून र मापदण्ड बमोजिम हुनेछ।

३४. **जैविक विविधताको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने** : (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र अवस्थित जैविक विविधताको वस्तुस्थिति र विवरणको अभिलेखीकरण व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखीकरण जैविक विविधता सम्बन्धी निर्देशिका बनाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप अद्यावधिक राख्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुनेछ ।

(३) जैविक विविधताको अभिलेखीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

३५. **स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, आदिको संरक्षण गर्नुपर्ने** : (१) जैविक विविधताको सम्बन्धमा स्थानीय समुदाय भित्रका व्यक्ति वा समूहमा रहेको ज्ञान, सीप, अभ्यास आदिको पहिचान, अभिलेखीकरण, तथा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हुनेछ ।

(२) कार्यपालिकाले उपदफा (१) बमोजिमको अभिलेखीकरण वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढङ्गले तोकिएको ढाँचा र प्रारुपमा राख्नेछ ।

३६. **खनिज पदार्थ संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका खनिज पदार्थको अवस्था बुझ्न सर्भे तथा खोज गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सर्भे तथा खोजबाट प्राप्त सूचना तथा तथ्याङ्कको आधारमा प्रचलित नेपालको कानून प्रतिकूल नहुने गरी कार्यपालिकाले खनिज पदार्थको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

३७. **जलाधार संरक्षण गर्नुपर्ने** : (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका जलाधारको संरक्षण गर्नु नगरपालिका, नागरिक र सम्बन्धीत निकायको कर्तव्य हुनेछ।

(२) कार्यपालिकाले संघीय र प्रदेशको कानून र मापदण्डको अधीनमा रही कार्यविधि वनाई नगरपालिका भित्रको जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ।

(३) आफ्नो क्षेत्रमा रहेको खानेपानीको मुहानको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकको हुनेछ।

## परिच्छेद- ५

## वन तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन

३८. **वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने** : (१) आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नगरपालिकाको हुनेछ ।

(२) वन, वन पैदावार, वन्यजन्तु तथा हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ।

(३) वन तथा वन पैदावार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा नगरपालिकाले संघीय र प्रदेश कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(क) संघ तथा प्रदेशसँग समन्वय गरी स्थानीय समुदायको सहभागितमा आफ्नो सिमाभित्रका समुदायमा आधारित वन, निजी वन, कृषि वन तथा वनमा आधारित उद्योगहरु संचालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,

(ख) सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह लगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्ने समूहको प्राविधिक, व्यवस्थापकीय, संस्थागत क्षमता विकासमा प्राथमिकता दिने,

(घ) वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनुका अतिरिक्त क्षमता विकासको लागि उत्प्रेरणात्मक अवसरहरु सिर्जना गर्ने,

(ङ) स्थानीय समुदायमा रहेको वनजन्य, जडिबुटी तथा वनस्पति उपयोग सम्बन्धी परम्परागत ज्ञान, सीप र चिकित्सा पद्धतिलाई आधुनिक विज्ञानसँग संयोजन गर्दै उन्नत प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने,

(च) वन्यजन्तु र वनस्पतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न संघ, प्रदेशसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरका प्राणी उद्यान तथा वनस्पति उद्यानहरु स्थापना र संचालन गर्ने,

(छ) वन पैदावार संकलनमा दिगोपना र प्रभावकारिताका लागि आधुनिक प्रविधिहरुको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने,

(ज) दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड अनुरुप सबै वन व्यवस्थापनमा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले दीगोपना सुनिश्चित गर्ने,

(झ) संघ तथा प्रदेशको समन्वयमा संरक्षित क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र तथा वन व्यवस्थापन पद्धतिहरुबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न योगदान पुऱ्याउने,

(ञ) वन, वनस्पति, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, पुनःस्थापना र दिगो उपयोग गर्न आवश्यक योजना र कार्यक्रम संचालन गर्ने,

(ट) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जलचरको संरक्षण गर्ने,

(ठ) संघ तथा प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्य गरी गरिवीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिवी न्यूनिकरण गर्न वनको संरक्षण र विकास हुने गरी आय आर्जन तथा पर्यटनका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने,

(ड) सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावार विक्री तथा उपयोग गर्न बनाएको वार्षिक कार्ययोजना नगरपालिकावाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गराउने

(ढ) नगरपालिका क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गामा रहेको काठ दाउरा, जराजुरी, दहत्तर बहत्तर आदिको बिक्री गर्ने,

(ण) सामुदायिक भू-संरक्षण र सो मा आधारित आय आर्जन कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने,

(त) संघ तथा प्रदेशको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपालिका क्षेत्रभित्रको जडिबुटी तथा अन्य गैरकाष्ट वन पैदावर सम्वन्धि सर्वेक्षण, उत्पादन, संकलन प्रवर्द्धन, प्रशोधन र वजार व्यवस्थापन गर्ने,

३९. **<u>निजी वन दर्ता तथा व्यवस्थापन</u>** : (१) निजी वन दर्ता गराउन चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निजी वन दर्ताको लागि डिभिजन वन कार्यालय वा सब डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिस सहित कार्यपालिकामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै निवेदन परेमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कार्यपालिकाले निजी वन दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनेछ ।

(३) व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेको वन पैदावरको संकलन तथा ओसारपसार गर्नु परेमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिनु पर्नेछ ।

४०. **सार्वजनिक जग्गामा वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) कार्यपालिकाले प्रचलित नेपाल कानून तथा यस ऐनको अधीनमा रही सार्वजनिक जग्गामा वनको विकास, संरक्षण, व्यवस्थापन गर्न र वन पैदावरको उपयोग तथा बिक्रि वितरण गर्न सक्नेछ ।

(२) कार्यपालिकाले सडक, नहर र बाटो किनारमा लगाइएको तथा बाटोमा छहारी पर्ने रुखहरु र चौतारा, कुलाको मुहान, धार्मिक स्थल वा त्यस्तै अन्य संवेदनशील ठाउँमा लगाइएका रुखहरुको संरक्षण गर्न तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही हटाउन सक्नेछ ।

४१. **सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन** : (१) कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रको सहरी क्षेत्र तथा वस्तीमा रहेका सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा आफैंले वा कुनै संघसंस्था वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने सहरी वनको वन पैदावार कार्यपालिकाले तोकिए बमोजिम प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

४२. **वनक्षेत्रको प्रयोग** : कार्यपालिकाले कुनै विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रचलित कानून बमोजिमको वातावरणीय अध्ययनबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा सो आयोजना सञ्चालन गर्न त्यस्तो वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्नको लागि संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

४३. **नर्सरी र उद्यान स्थापना तथा व्यवस्थापन** : (१) संघीय तथा प्रादेशिक कानून प्रतिकूल नहुने गरी, प्रचलित मापदण्ड तथा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेको सुनिश्चित गरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र जो कोहीले पनि कार्यपालिकाको अनुमति लिई नर्सरी तथा उद्यान सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

(२) नगरपलिका क्षेत्रभित्र उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालन हुने नर्सरी तथा उद्यानको सम्बन्धमा संघीय तथा प्रादेशिक मापदण्डसँग नबाझिने गरी सञ्चालन तथा पूर्वाधार मापदण्ड निर्देशिका बनाई लागू गर्नेछ ।

(३) नगरपालिका क्षेत्रभित्र उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने सबै नर्सरी तथा उद्यानहरुको कम्तिमा वर्षको एक पटक तोकिए बमोजिम अनिवार्य अनुगमन निरीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

४४. **खुल्ला क्षेत्र व्यवस्थापन तथा हरियाली प्रवर्द्धन** : (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको खुल्ला तथा सार्वजनिक क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा अभिलेखीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(२) कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेने खुल्ला तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी वृक्षारोपण, सम्भार र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।

(३) खुल्ला तथा सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४५. **नदी किनार, नदी उकास नहर किनार र सडक किनारमा वृक्षारोपण** : (१) नगरपालिकाभित्रको नदी किनार, नदी उकास नहर किनार र सडक किनारमा कार्यपालिकाको अनुमति लिई वृक्षारोपण गर्न सक्नेछ ।

(२) कार्यपालिकाले वृक्षारोपण सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।

## परिच्छेद-६
## संस्थागत व्यवस्था

४६. **वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन** : (१) नगरपालिकामा वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै जैविक विविधताको संरक्षण लागि वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कोषको स्थापना हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहने छन् :

(क) संघ, प्रदेश सरकारबाट वातावरण संरक्षणका लागि प्राप्त रकम,

(ख) विभिन्न संघ संस्थावाट प्राप्त रकम,

(ग) अन्य स्रोतवाट प्राप्त रकम।

(३) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कोषको संचालन तोकिए बमोजिम हुनेछ।

४७. **वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद गठन गर्न सक्ने** : (१) वातावरण, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्न, नीति योजना निर्माण गर्न, विभिन्न निकायहरु वीच समन्वय गर्न तथा यस ऐन अन्तर्गत अनुगमन तथा निरिक्षण गर्न नगरपालिकामा वातावरण सम्बन्धी विशेषज्ञ सम्मिलित वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषदमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन;

(क) नगरपालिका प्रमुख अध्यक्ष- अध्यक्ष

(ख) उपप्रमुख - सदस्य

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत- सदस्य

(घ) स्वास्थ्य समिति संयोजक- सदस्य

(ङ) वन, वातावरण समिति संयोजक- सदस्य

(च) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ १ महिला सहित ३ जना- सदस्य

(छ) स्थानीय वासिन्दाहरूमध्ये वन उपभोक्ता समितिहरूवाट १जना सहित कार्यपालिकाले तोकेका १ महिला समेत ३ जना- सदस्य

(ज) कृषि क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिका सदस्य- सदस्य

(झ) वातावरण शाखा संयोजक- सदस्य सचिव

(३) वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण परिषद्को अन्य काम, कर्तव्य तथा अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४८. **समितिहरु गठन गर्न सक्ने** : (१) नगरकार्यपालिकाले यो ऐनको उद्देश्य पूर्तिको लागि सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञहरु समेत रहेको विभिन्न समितिहरु गठन गर्न सक्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित समितिहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार नगर कार्यपालिकाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

४९. **अनुगमन तथा मूल्यांकन** : (१) यस ऐन अन्तर्गत आवश्यक अनुगमन र मूल्यांकन दफा ५८ बमोजिम स्थापित वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण परिषद वा परिषदले तोकेको निरीक्षण समितिहरूवाट गर्नेछ ।

(२) अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

५०. **वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्ने** : (१) कार्यपालिकाले वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नेछ।

(२) कार्यपालिकाले वातावरण संरक्षण योजना तर्जुमा गर्दा वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण र प्रवर्द्धन, दीगो उपयोग र वातावरणीय र जैविक विविधताका स्रोतहरूको परम्परागत र स्थानीय अभ्यासहरूलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण योजना बनाउँदा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र आर्थिक रुपमा विपन्न समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

(४) वातावरण संरक्षण योजनामा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु तोकिए बमोजिम हुनेछ।

## परिच्छेद-७

## कसूर, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ती

**५१. कसूरः कसैले देहायको कुनै काम गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ :-**

(क) कार्यपालिकाले तोकिदिएको समय र स्थान बाहेक अन्यत्र फोहरमैला निष्काशन गर्ने,

(ख) कण्टेनर वा फोहरमैला संकलन केन्द्रमा राखिएको फोहरमैला अनाधिकृत तवरले प्रयोग गर्ने,

(ग) फोहरमैला संकलन केन्द्रमा राखिएको कण्टेनर तोडफोड गर्ने क्षति पुऱ्याउने, राखिएको स्थानबाट हटाउने वा संकलन केन्द्रमा कुनै नोक्सानी पुऱ्याउने,

(घ) यस ऐन बमोजिम अनुमति नलिई फोहरमैला व्यवस्थापनको कार्य गर्ने,

(ङ) यस ऐन बमोजिम फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि प्रदान गरिएको अनुमतिपत्रमा उल्लेखित शर्तहरु उल्लङ्घन गर्ने,

(च) फोहरमैला संकलन केन्द्र, कण्टेनर वा फोहरमैला थुपार्ने ठाउँमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक पदार्थ फाल्ने, राख्ने वा थुपार्ने,

(छ) घर, कम्पाउण्ड तथा परिसरको फोहरमैला सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने,

(ज) फोहरबाट निस्केको दूषित पानी (लिचेट) वा ढल चुहाई अन्य व्यक्तिको घर वा जग्गा प्रदूषित गराउने,

(झ) सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा सरसफाई तथा फोहरमैला संकलन गर्न कार्यपालिकाले तोकेको समय वा सफाई गर्दाको समयमा त्यस्तो ठाउँमा कुनै पनि किसिमको सवारी साधन बिसाउने वा बिसाइ राखेको सवारी साधन हटाउने इन्कार गर्ने,

(ञ) कार्यपालिकाले तोकेको ठाउँमा बाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सडक वा अन्य सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि किसिमको हानिकारक फोहरमैला राख्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा निष्काशन गर्ने,

(ट) रासायनिक फोहरमैला, औद्योगिक फोहरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला वा हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्काशन गर्ने वा गराउने,

(ठ) औद्योगिक प्रतिष्ठान वा स्वास्थ्य संस्थाले उद्योग वा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने हानिकारक फोहरमैला जथाभावी फाल्ने, राख्ने वा निष्काशन गर्ने वा गराउने,

(ङ) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा फोहरमैला व्यवस्थापनमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने,

(ढ) फोहरमैला संकलन, ढुवानी तथा अन्तिम निष्काशन स्थलमा अवरोध, बन्द, घेराउ गर्ने वा फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यमा हडताल गर्ने,

(ण) फोहरमैला अत्याधिक उत्पादन हुने वस्तु भनी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रतिबन्ध लगाएको कुनै वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने,

(त) प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको मापदण्ड विपरित रासायनिक विषादीको आयात गर्ने वा समयावधि सकिएको रासायनिक विषादी प्रचलित कानून र मापदण्ड बमोजिम नष्ट गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्ने,

(थ) स्रोत मै फोहरमैलाको पृथकीकरण नगरी फोहरमैला मिसाएर निष्काशन गर्ने,

(द) मरेको वा मारेको पशुपक्षी र सोको लादी, प्वाँख, हड्डी तथा माछाको कत्ला आदि सार्वजनिक स्थल, सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने, फाल्ने वा थुपार्ने।

५२. <u>सजाय तथा जरिवाना</u> : (१) फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा कसैले देहायको कार्य गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय तथा जरिवाना गर्नेछः

(क) दफा ५१ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई कार्यपालिकाले पहिलो पटक भए पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक सोही कसूर गरेमा पाँच हचार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र सोही कसूर तेस्रो वा सोभन्दा बढी पटक गरेमा प्रत्येक पटकको लागि पन्ध्र हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गरी फोहरमैला उठाउँदा लाग्ने खर्च समेत निजबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ ।

(ख) दफा ५१ को खण्ड (ख) र (झ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले पाँच सय रुपैयाँदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(ग) दफा ५१ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कण्टेनर वा संकलन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च असूल उपर गर्न सक्नेछ ।

(घ) दफा ५१ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले पन्ध्र हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी अनुमति नलिएसम्म त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाउनेछ ।

(ङ) दफा ५१ को खण्ड (च) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वस्तु वा पदार्थबाट कुनै क्षति भइसकेको भए त्यस्तो क्षति बापतको रकम समेत कसूरदाताबाट असूल उपर गर्न सक्नेछ ।

(च) दफा ५१ को खण्च (छ), (ज) र (द) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले पाँच हजार रुपैयाँदेखि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(छ) दफा ५१ को खण्ड (ञ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले तीस हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

(ज) दफा ५१ को खण्ड (ट), (ठ) र (त) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई कार्यपालिकाले पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र सोही कसूर पुनः गरेमा पहिलो पटक गरेको जरिवानाको दोब्बर जरिवाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति रद्द गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्नेछ ।

(झ) दफा ५१ को खण्ड (ड), (ढ) र (ण) बमजिमको कसूरलाई प्रचलित संघीय कानून बमोजिम सजाय हुनेछ ।

(ञ) दफा ५१ को खण्ड (थ) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई सम्बन्धित कार्यपालिकाले प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने छ ।

(२) वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कसैले देहायको कार्य गरेमा कार्यपालिकाले देहाय बमोजिमको जरिवाना गर्नेछः

(क) संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनु पर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत हुने कार्य गरेमा पाँचलाख रुपैयाँसम्म,

(ख) प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत हुने कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा दशलाख रुपैयाँसम्म ।

(३) कसैले उपदफा (२) बमोजिमको कार्य गरेमा सम्बन्धित कार्यपालिकाले तुरुन्त रोकी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत नगराएमा यस ऐन बमोजिम त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत गराउन र त्यस्तो प्रतिवेदन कार्य भएकोमा सो कार्यलाई सुधार गर्न आदेश दिनेछ र

यसरी दिइएको आदेश बमोजिम गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।यसरी दिइएको आदेश बमोजिम कार्य नभएमा कार्यपालिकाले उपदफा (१) बमोजिम गरिएको जरिवानाको तेब्बर जरिवाना गर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) मा उल्लेखित विषय बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड विपरीतका कुनै कार्य गरेमा कार्यपालिकाले त्यस्तो कार्य गर्न बन्देज लगाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी दुई महिनाभित्र यो ऐन वा यस ऐन बमोजिम बनेको नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा मापदण्ड बमोजिमको कार्य गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।यसरी दिएको आदेश बमोजिम कार्य नभएमा यस उपदफा बमोजिम गरिएको जरिवानाको तेब्बर जरिवाना लाग्नेछ ।

(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम दिएको आदेश बमजिमको कार्य नभएमा त्यस्तो कार्यमा बन्देज लगाइनेछ र त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न कार्यपालिकाले सिफारिस सहित संघ र प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।

(६) यस दफा बमोजिम जरिवाना गर्नु अघि जरिवाना गर्न लागेको व्यक्ति वा संस्था वा आयोजनालाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

५३. **क्षतिपूर्ति** : (१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका वा मापदण्ड विपरीत प्रदूषण गरेको वा जोखिमपूर्ण फोहर निष्कासन गरेको वा कुनै दुर्घटनाजन्य प्रदूषणका कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कुनै हानी नोक्सानी पुग्न गएमा त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई पुग्न गएको क्षति बापत कार्यपालिका वा तोकिएको निकायबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको निवेदन सम्बन्धमा छानबिन तथा जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई हानी नोक्सानी भएको ठहरेमा क्षतिको यकिन गरी त्यसरी हानि नोक्सानी पुऱ्याउने व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

(३) नगरपालिकाको कुनै निकाय वा नगरपालिकाको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको संस्थाले प्रदूषण गरी क्षति पुगेको विषयमा परेको निवेदन सम्बन्धमा छानबिन गर्न कार्यपालिकाले मनोनयन गरेको तीन जना विज्ञ रहेको समिति गठन हुनेछ र सो समिततिको सिफारिसको आधारमा उपदफा (२) वा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधार र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५४. **निवेदन दिन सक्ने** : (१) कसैले यस ऐन विपरित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदेन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदन विपरीत हुने गरी प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा वा यस ऐन विपरित

हुने कार्य गरेमा वा गर्न लागेमा कार्यपालिका वा कार्यपालिकाले तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

५५. **पुनरावेदन** : (१) दफा ५२ बमोजिम भएको जरिवाना उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले उक्त जरिवाना उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पैंतिस दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

(२) दफा ५३ बमोजिम क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धमा भएको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतिस दिनभित्रस सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।

५६. **सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्ने** : वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै उद्योग, व्यवसाय, प्रविधि वा प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न कानून बमोजिम प्रदान गरिएको सहुलियत तथा सुविधाको अतिरिक्त नगरपालिकाले स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि सहुलियत तथा सुविधा प्रदान गर्न सक्नेछ ।

## परिच्छेद- ८
## विविध

५७. **ढुङ्गा, गिटि, वालुवा, माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, विक्री तथा वितरण सम्बन्धमा** : (१) नगरपालिका क्षेत्राधिकार भित्र रहेका ढुङ्गा, गिटि, वालुवा तथा माटोको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्रि तथा वितरण सम्बन्धी व्यवस्था संघीय सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुरुप हुनेछ ।

(२) उपदफा(१)बमोजिमको मापदण्डको अधीनमा रही नगरपालिकाले आफ्नो छुट्टै मापदण्ड र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ।

५८. **भू-उपयोग योजना र भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन** : संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही नगरपालिकाले स्थानीय तहको भू-उपयोग योजना र भूमि व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

५९. **समन्वय र सहजीकरण गर्ने** : वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धि राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक अभियानमा नगरपालिकाले आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्नेछ।

६०. **सर्वेक्षण** : कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको वातावरणीय तथा जैविक विविधताको वस्तुस्थिति बुझ्न तथा यकिन गर्न आवधिक रुपमा तोकिए बमोजिमको ढाँचामा वातावरणीय तथा जैविक विविधता सर्वेक्षण गर्न सक्नेछ ।

६१. **गुनासो व्यवस्थापन** : कार्यपालिकाले वातावरण, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधता सम्बन्धित गुनासो र उजुरीको संकलन गर्ने र त्यसको सम्बोधनको लागि एक अधिकारी तोक्न सक्नेछ ।

६२. **परामर्श लिन सक्ने** : **नगर**सभा कार्यपालिका वा वातावरण शाखा (इकाई) ले यस ऐनको कार्यान्वनयको लागि सम्बन्धित विषयका विज्ञसँग सल्लाह र परामर्श लिन सक्नेछ।

६३. **अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने** : कार्यपालिकाले यस ऐन अन्तर्गत तोकिएका जिम्मेवारी तथा अधिकार वातावरण शाखा (इकाई) मा प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

६४. **प्रचलित कानून बमोजिम हुने** : यस ऐनमा लेखिए जति कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ।

६५. **नियम बनाउन सक्ने** : यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिकाले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नियम नगरपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन पश्चात लागू हुनेछ ।

६६. **मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्ने** : यस ऐन कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिकाले आवश्यक मापदण्ड, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।

**आज्ञाले**

गणेश प्रसाद अर्याल

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

कटारी नगरपालिका